उत्तर प्रदेश किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय अधिनियम, 2002

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 08, सन् 2002)

THE UTTAR PRADESH KING GEORGE'S MEDICAL UNIVERSITY ACT, 2002

(U.P. Act No. 8 of 2002)

उत्तर प्रदेश [1][किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय] अधिनियम, 2002[2]

[उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 08, सन् 2002]

उ० प्र० अधिनियम संख्या 13, 2003
उ० प्र० अधिनियम संख्या 04, 2004
उ० प्र० अधिनियम संख्या 15, 2006
उ० प्र० अधिनियम संख्या 18, 2007
उ० प्र० अधिनियम संख्या 31, 2007
उ० प्र० अधिनियम संख्या 06, 2013
उ० प्र० अधिनियम संख्या 42, 2018
उ० प्र० अधिनियम संख्या 02, 2019
उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 02, 2026

द्वारा संशोधित

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ, "भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अन्तर्गत राज्यपाल महोदय ने दिनांक 5 सितम्बर, 2002 ई0 को स्वीकृति प्रदान की और उत्तर प्रदेशीय सरकारी असाधारण गजट में दिनांक 6 सितम्बर, 2002 ई0 को प्रकाशित हुआ।]

लखनऊ विश्वविद्यालय से [1][किंग जार्ज मेडिकल कालेज और गांधी मेमोरियल एंड ऐसोसिएटेड हास्पिटल्स को अंतरित करके किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय] के नाम से एक चिकित्सा विश्वविद्यालय की स्थापना और उससे संबंधित मामलों की व्यवस्था करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के तिरपनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है : ––

अध्याय – एक

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–(1) यह अधिनियम [1][उत्तर प्रदेश किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय] अधिनियम, 2002 कहा जाएगा ।

(2) यह ऐसे दिनांक को प्रवृत्त होगा जैसा राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा इस निमित्त नियत करें ।

परिभाषाएं

2– इस अधिनियम में ––

(1) "विद्या परिषद्", "सभा" और "कार्य परिषद्" का तात्पर्य क्रमशः विश्वविद्यालय के विद्या परिषद् सभा और कार्य परिषद् से है ;

(2) "नियत दिनांक" का तात्पर्य धारा 1 की उपधारा (2) के अधीन राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित दिनांक से है ;

(3) "दन्त चिकित्सा" और "चिकित्सा" के अर्थ वही होंगे जो उनके लिए क्रमशः दन्त चिकित्सा अधिनियम, 1948 और भारतीय चिकित्सा अधिनियम, 1956 में समनुदेशित है;

(4) "संकाय" का तात्पर्य विश्वविद्यालय के किसी संकाय से है ;

(5) "गांधी मेमोरियल एण्ड एसोसिएटेड हास्पिटल" का तात्पर्य गांधी मेमोरियल हास्पिटल, क्वीन मेरी हास्पिटल, कस्तूरबा क्लीनिक एण्ड हास्पिटल (क्षय रोग), बाल चिकित्सालय, दन्त विज्ञान संकाय से सम्बद्ध हास्पिटल, कुष्ठ हास्पिटल और रक्त बैंक, पुनर्वास एवं कृत्रिम केन्द्र से है और इसके अन्तर्गत ऐसे सभी चिकित्सालय, औषधालय

---

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 06, 2013 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित – 8 अगस्त, 2012 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

2. उद्देश्य व कारणों हेतु इस अधिनियम के अन्त में देखें।

और प्रयोगशालायें भी है जो पूर्वोक्त किसी चिकित्सालय और रक्त बैंक से सम्बद्ध या उसके सहायक के रूप में हों ;

(6) "छात्र निवास" का तात्पर्य छात्रों के निवास से है जो विश्वविद्यालय द्वारा पोषित या मान्यता प्राप्त हो ;

(7) "संस्था" का तात्पर्य किंग जार्ज मेडिकल कालेज और गांधी मेमोरियल एण्ड एसोसिएटेड हास्पिटल से है ;

(8) किंग जार्ज मेडिकल कालेज के अन्तर्गत उसके दन्त संकाय को सम्मिलित करते हुए समस्त औषधालय, व्याख्यान कक्ष, संग्रहालय, प्रयोगशालायें, पुस्तकालय, छात्रावास और बोर्डिंग हाऊस भी है जिनका प्रयोग उक्त कालेज के सम्बन्ध में या उसके उप साधान के या सहायक के रूप में किया जाता है ;

(9) "विहित" का तात्पर्य परिनियमों द्वारा विहित से है ;

(10) "रजिस्ट्रीकृत स्नातक" का तात्पर्य परिनियमों के अनुसार रजिस्ट्रीकृत विश्वविद्यालय के किसी स्नातक से है और उसके अन्तर्गत ऐसा स्नातक भी सम्मिलित है जिसने नियत दिनांक के पूर्व किंग जार्ज मेडिकल कालेज के छात्र के रूप में कोई चिकित्सा उपाधि प्राप्त की हो ;

(11) "परिनियम", "अध्यादेश" और "विनियम" का तात्पर्य क्रमशः विश्वविद्यालय के परिनियम, अध्यादेश और विनियम से है ;

(12) "अध्यापक" का तात्पर्य ऐसे अध्यापक से है जो विश्वविद्यालय द्वारा शिक्षण या अनुसंधान कार्य में मार्गदर्शन या संचालन के लिए नियोजित हो ;

(13) "विश्वविद्यालय" का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन स्थापित [1][किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय] से है ।

अध्याय – दो

विश्वविद्यालय

विश्वविद्यालय का निगमन

3–विश्वविद्यालय में इस रूप में तत्समय पद धारण कर रहे कुलाधिपति, कुलपति तथा कार्य परिषद्, सभा और विद्या परिषद् के सदस्यों से मिलकर एक निगमित निकाय [1][किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय] के नाम से गठित होगा ।

किंग जार्ज मेडिकल कालेज इत्यादि का लखनऊ विश्वविद्यालय से विश्वविद्यालय को अन्तरण किया जाना

4–नियत दिनांक को और उसी दिनांक से ––

(क) ऐसी संस्थाओ का नियंत्रण और प्रबन्ध जो दिनांक 1 मार्च, 1921 से कार्यपालक आदेश द्वारा राज्य सरकार से लखनऊ विश्वविद्यालय को अन्तरित किया गया था उससे सम्बन्धित समस्त ऐसी सम्पत्ति और आस्तियों के, जो उक्त अन्तरण के समय विद्यमान थी, उसके किन्हीं अनुवृद्धियों और अधिमिलनों के साथ नियंत्रण और प्रबन्ध सहित लखनऊ विश्वविद्यालय से विश्वविद्यालय को अन्तरित और उसमें निहित हो जायगा ;

(ख) संस्था की समस्त सम्पत्तियाँ और आस्तियां, चाहे उन्हें राज्य सरकार के अनुदान से या अन्य प्रकार से अर्जित या सृजित किया गया हो जिसके अन्तर्गत संस्था के

---

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 6, 2013 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित ।

नाम में या उसके लेखे में लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा धृत कोई नकद धनराशि भी है चाहे वह किसी बैंक में या अन्य प्रकार से जमा हो लखनऊ विश्वविद्यालय से अन्तरित हो जायेगी और विश्वविद्यालय में निहित हो जायेगी ;

(ग) धारा 5 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए लखनऊ विश्वविद्यालय के समस्त अधिकार शक्ति और विशेषाधिकार, कर्तव्य, ऋण, दायित्व और आभार, जो किसी संस्था के कार्यकलाप के सम्बन्ध में संविदात्मक या अन्य प्रकार से उत्पन्न या प्रोद्भूत या उपगत हो, विश्वविद्यालय को अन्तरित हो जायेंगे ;

(घ) पूर्ववर्ती खण्डों के अधीन किसी आस्ति या दायित्व के अन्तरित किये जाने के सम्बन्ध में किसी संदेह या विवाद को राज्य सरकार को विनिर्दिष्ट किया जायगा जिस पर उसका विनिश्चय अन्तिम होगा ;

(ङ) किसी ऐसे इच्छा–पत्र, विलेख या अन्य दस्तावेज में, चाहे उसे नियत दिनांक के पूर्व या पश्चात् तैयार या निष्पादित किया गया हो, जिसमें किसी संस्था के प्रयोजन के लिए लखनऊ विश्वविद्यालय के पक्ष में कोई वसीयत, दान, विन्यास या न्यास अन्तर्विष्ट हो, समस्त निर्देश का यह अर्थ लगाया जायगा मानों उसमें लखनऊ विश्वविद्यालय के स्थान पर [1][किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय] का नाम लिखा गया हो ।

आस्तियों इत्यादि का उपयोग

5–धारा 4 के आधार पर विश्वविद्यालय को अन्तरित सम्पत्ति, आस्तियों और अधिकारों का उपयोग उन्हीं प्रयोजनों के लिए किया जाता रहेगा, जिनके लिए नियत दिनांक के ठीक पूर्व उनका उपयोग किया जाता रहा है या जिनके लिए उपयोग किया जाना आशयित है ।

किंग जार्ज मेडिकल कालेज का विश्वविद्यालय में अन्तरण

6–उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 और तद्धीन बनाये गये परिनियमों में किसी बात के होते हुए भी, ––

(क) किंग जार्ज मेंडिकल कालेज नियत दिनांक से लखनऊ विश्वविद्यालय के संघटक विद्यालय के रूप में नहीं रह जायेगा और उन्नत हो जाएगा और विश्वविद्यालय को अंतरित हो जायगा ; और

(ख) किंग जार्ज मेडिकल कालेज का कोई छात्र जो नियत दिनांक के ठीक पूर्व लखनऊ विश्वविद्यालय की किसी परीक्षा के लिए अध्ययन कर रहा था नये विश्वविद्यालय के छात्र के रूप में अपना अध्ययन जारी रखेगा और उसकी तैयारी में अपने पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए अनुज्ञात होगा और नए विश्वविद्यालय की परीक्षाओ में प्रवेश पा सकेगा।

कुलपति और कर्मचारी वर्ग की प्रथम नियुक्तियाँ

7–(1) नियत दिनांक के ठीक पूर्व किंग जार्ज मेडिकल कालेज के प्राधानाचार्य के रूप मे पद धारण करने वाला व्यक्ति, प्रधानाचार्य के पद के समाप्त किये जाने पर उसी दिनांक से कुलपति के रूप में नियुक्त हो जायेगा जब तक कि इस अधिनियम के अनुसरण में कुलाधिपति द्वारा कुलपति के पद पर नियमित नियुक्ति नहीं कर दी जाएगी ।

(2) कुलपति द्वारा चिकित्सा विश्वविद्यालय के आचार्यो में से [2][हास्पिटल का मुख्य अधीक्षक] नियुक्त किया जा सकता है ।

---

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 06, 2013 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित ।
2. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 04, 2004 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित ।

(3) दंत संकाय को छोड़कर, विश्वविद्यालय का ज्येष्ठतम आचार्य चिकित्सा संकाय का अध्यक्ष होगा और तीन वर्ष की अवधि के लिये पद धारण करेगा और तत्पश्चात् ज्येष्ठता–क्रम के अनुसार पद चक्रानुक्रमित होगा ।

(4) नियत दिनांक के ठीक पूर्व दंत संकाय के अध्यक्ष के रूप में पद धारण करने वाला व्यक्ति उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के अनुसार अपनी पदावधि की समाप्ति तक पद धारण करता रहेगा और तत्पश्चात् प्रत्येक तीन वर्षो पर ज्येष्ठता के क्रम में पद चक्रानुक्रमित होगा ।

अंतरिम कार्य परिषद्

8–इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसरण में विश्वविद्यालय के लिए नई कार्य परिषद् के गठन हो जाने तब एक अंतरिम कार्य परिषद्, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, कार्य परिषद् के कर्त्तव्यों का निर्वहन करेगी :–

(क) कुलपति, जो उसका अध्यक्ष होगा ;

(ख) [1][* * * *] [1][प्रति कुलपति यदि कोई हो];

(ग) संकायों के अध्यक्ष ;

(घ) विश्वविद्यालय के दो ज्येष्ठतम आचार्य (संकायाध्यक्षों से भिन्न) ;

(ङ) उच्च न्यायालय, लखनऊ पीठ का ज्येष्ठ न्यायाधीश या किसी बैठक के लिये उसके द्वारा नामित उस पीठ का अन्य न्यायाधीश ;

(च) महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा, उत्तर प्रदेश ;

(छ) कुलाधिपति द्वारा नामित किसी राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय का प्रधानाचार्य ;

(ज) निदेशक, संजय गांधी स्नातकोत्तर चिकित्सा विज्ञान संस्थान, लखनऊ ;

(झ) निदेशक, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली, या किसी बैठक में सम्मिलित होने के लिये उसके द्वारा नामित उस संस्थान का एक आचार्य ;

(ञ) किंग जार्ज मेडिकल कालेज जैसा कि वह नियत दिनांक के पूर्व था, के दो सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य और दो सेवानिवृत्त आचार्य जो कि कुलाधिपति द्वारा नामित किये जाएंगे ;

(ट) कुलाधिपति द्वारा नामित, चिकित्सा व्यवसाय से राष्ट्रीय या अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा का एक प्रख्यात व्यक्ति ।

अध्यापकों आदि का अन्तरण

9–लखनऊ विश्वविद्यालय का प्रत्येक अध्यापक या अन्य सेवक जो संस्थाओं के कार्यकलाप के सम्बन्ध में सम्यक रूप से सशक्त हो और नियत दिनांक के ठीक पूर्व इस रूप में संस्थाओं में सेवारत हो जब तक कि वह नियत दिनांक से नब्बे दिन के भीतर विश्वविद्यालय को लिखित रूप में अपने इस आशय की नोटिस न दे कि वह विश्वविद्यालय का कर्मचारी नहीं होना चाहता है, विश्वविद्यालय का अध्यापक या अन्य सेवक हो जायेगा और उसी अवधि के लिए और उन्हीं निर्बन्धनों और शर्तो पर और सेवानिवृत्ति लाभ या अन्य

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 04, 2004 की धारा 3 द्वारा निकाला गया और उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2, 2019 की धारा 2 द्वारा बढ़ाया गया।

विषय के साथ अपना पद धारण करेगा जिस पर वह लखनऊ विश्वविद्यालय के अधीन धारणकर्ता यदि यह अधिनियम पारित न किया गया होता और वह इस प्रकार बना रहेगा जब तक कि विश्वविद्यालय के अधीन उसका सेवायोजन सम्यक् रूप से समाप्त न कर दिया जाय या जब तक कि इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये परिनियमों के अनुसार उन निबन्धनों और शर्तों में सम्यक् रूप से परिवर्तन न कर दिया जाय ।

विश्वविद्यालय के उद्देश्य

10–विश्वविद्यालय के उद्देश्य निम्नलिखित होंगे : ––

(क) [1][चिकित्सा, दन्त चिकित्सा परिचर्या परा–चिकित्सा और ऐसी अन्य शाखाएं जो समय–समय पर विहित की जाएं में ज्ञान का प्रसार और अभिवृद्धि करना और उसमे दक्षतापूर्ण एवं व्यवस्थित शिक्षण, अध्यापन प्रशिक्षण और अनुसंधान सुनिश्चित करना ;]

(ख) विद्यमान संस्थाओं को उन्नत करके एक बहुआयामी अति विशिष्ट हास्पिटल एवं ट्रामा सेन्टर की व्यवस्था करना और उन्हें उत्कृष्ट केन्द्रों के रूप में स्थापित करना ;

(ग) अपने हास्पिटलों में रोगियों का उपचार करना ;

(घ) एक परिचर्या प्रशिक्षण केन्द्र का विकास करना ;

(ङ) पुनर्वास एवं अंग केन्द्र, पैथालाजी प्रयोगशालाओं, डाइग्नोस्टिक सेन्टरों और रक्त बैंकों को सम्मिलित करते हुए अस्पतालों का प्रशासन, प्रबन्धन और नियंत्रण करना ;

(च) एक दूरस्थ चिकित्सा विभाग स्थापित करना ;

(छ) एक पुनःउत्पादक एवं जनसंख्या नियंत्रण अनुसंधान का विकास करना ;

(ज) एक जैनटिक्स विभाग विकसित करना ;

(झ) एक पर्यावरण एवं प्रदूषण संस्थान विकसित करना ;

(ञ) ट्रान्सफ्यूशन चिकित्सा का विकास करना ;

(ट) एक पोषण अनुसंधान केन्द्र का विकास करना ;

(ठ) चिकित्सा एवं दन्त विज्ञान में जीन थिरैपी मालीकुलर बायोलाजी, रोबोटिक सर्जरी, बायोइन्फारमेंटिक्स, अंग प्रत्यारोपण बायोटेक्नालाजी इम्यूनोलाजी तथा क्लीनिकल एपीडयूनोलाजी और अद्यतन मानकों के अनुरूप सुविधाओं को विकसित करना ; और

(ड़) अध्यापकों हेतु प्रशिक्षण प्रदान करने के लिये एक केन्द्र स्थापित करना ।

विश्वविद्यालय की शक्तियां और कर्त्तव्य

11–विश्वविद्यालय की निम्नलिखित शक्तियां और कर्त्तव्य होंगे, अर्थात् : ––

[2][(एक) चिकित्सा दन्त चिकित्सा, परिचर्या, परा–चिकित्सा एवं अन्य शाखाओं में अध्यापन और प्रशिक्षण संस्थित करना, जैसा विश्वविद्यालय उचित समझे और उन शाखाओं में ज्ञान की अभिवृद्धि और प्रसार के लिये अनुसंधान की व्यवस्था करना ;]

(दो) उपाधियां, डिप्लोमा, प्रमाण–पत्र और अन्य शैक्षिक विशिष्टियां संस्थित करना और प्रदान करना ;

(तीन) विश्वविद्यालय के विभिन्न पाठ्यक्रमों में छात्रो को प्रवेश देना और परीक्षाएं और परीक्षणों को संचालित करना और उसके सम्बन्ध में शर्तो को अधिकथित करना ;

---

1. उ0प्र0 अधिनियम संख्या 2, 2019 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उ0प्र0 अधिनियम संख्या 2, 2019 की धारा 4 द्वारा प्रतिस्थापित।

(चार) ऐसे व्यक्तियों के लिये परीक्षाओं का आयोजन करना तथा उन्हें उपाधियां या अन्य शैक्षिक विशिष्टियां स्वीकृत और प्रदान करना जिन्होंने ——

(क) विश्वविद्यालय में किसी शिक्षण पाठ्यक्रम का अध्ययन किया हो, या

(ख) विश्वविद्यालय में शोध कार्य किया हो,

(पाँच) परिनियमों में अधिकथित रीति से और शर्तों के अधीन मानद उपाधियां या अन्य शैक्षणिक विशिष्टतायें प्रदान करना ;

(छः) ऐसे व्यक्तियों के लिये जो विश्वविद्यालय के छात्र नहीं है, ऐसे डिप्लोमा प्रदान करना, और ऐसे व्याख्यानों और अनुदेशो की व्यवस्था करना जैसा विश्वविद्यालय अवधारित करे ;

(सात) अन्य विश्वविद्यालयों से ऐसी रीति से तथा ऐसे प्रयोजनों के लिये सहकार्य या सहयोग करना जिन्हें विश्वविद्यालय अवधारित करें ;

(आठ) परिनियमों और अध्यादेशों के अनुसार छात्रवृत्तियां, अधिछात्रवृत्तियां (यात्रा करना अधिछात्रवृत्तियों को सम्मिलित करते हुये) विद्यावृत्तियां, छात्र सहायता वृत्तियां, पदक और पारितोषिकों को संस्थित करना और उन्हें प्रदान करना ;

(नौ) किसी उपाधि या डिप्लोमा हेतु अध्ययन पाठ्यक्रम के प्रवेश के प्रयोजनार्थ किसी अन्य विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त कोई उपाधि या डिप्लोमा को अपनी उपाधि के समतुल्य या, किसी अन्य विश्वविद्यालय या प्राधिकरण द्वारा आयोजित किसी परीक्षा को माध्यमिक शिक्षा परिषद् उत्तर प्रदेश की इण्टरमीडिएट परीक्षा के समतुल्य मान्यता प्रदान करना ;

(दस) विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को पूरा करने के लिये शोध संस्थानों, अस्पतालों, प्रयोगशालाओं, पुस्तकालयों या अन्य आवश्यक बातों की स्थापना अनुरक्षण और प्रशासन करना ;

(ग्यारह) छात्रावासों की स्थापना अनुरक्षण और प्रशासन करना और विश्वविद्यालय के छात्रों के लिये आवास के स्थानों को मान्यता देना ;

(बारह) अध्यादेशों के अनुसार फीस एवं अन्य प्रभार नियत करना और संग्रह करना;

(तेरह) निवासियों का प्रवेक्षण एवं नियन्त्रण करना और विश्वविद्यालय संस्थाओं के छात्रों के अनुशासन को विनियमित करना और उनके स्वास्थ्य के संवर्धन के लिये व्यवस्था करना ;

(चौदह) विश्वविद्यालय द्वारा अपेक्षित शिक्षण, प्रशासनिक, लिपिक वर्गीय एवं अन्य आवश्यक पदों का सृजन करना और उन पर नियुक्तियां करना ;

(पन्द्रह) श्रेष्ठ एवं अनुसंधान कार्यों के प्रकाशन का जिम्मा लेना ;

(सोलह) अपने अस्पतालों में रोगियों के प्रबन्धन और उपचार के लिये व्यवस्था करना ;

(सत्रह) विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को अग्रसर करने के लिये यथावश्यक ऐसे सभी अन्य कार्य करना चाहे वे उपर्युक्त शक्तियों के आनुषंगिक हो या न हो;

[1] [* * *]

विश्वविद्यालय सभी वर्गों और मतावलम्बियों के लिए होगा

12–जाति, वर्ग, मतावलम्बियों या लिंग के भेदभाव के बिना विश्वविद्यालय सभी व्यक्तियों के लिये होगा ––

परन्तु यह कि विश्वविद्यालय,––

(एक) विश्वविद्यालय के अध्ययन के पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिये पात्रता सीमित कर सकता है ;

(दो) तत्समय प्रवृत्त राज्य सरकार की किसी विधि या आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ें वर्गों, महिला छात्रों और अन्य श्रेणियों के पक्ष में आरक्षण कर सकता है ।

निरीक्षण तथा जाँच

परिदर्शन

13–(1) राज्य सरकार को, किसी ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा जैसा वह निर्देश दे, विश्वविद्यालय जिसके अन्तर्गत उसके भवन, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, कर्मशाला तथा उपस्कर है और विश्वविद्यालय द्वारा कराई गयी परीक्षा, अध्यापन कार्य तथा अन्य कार्य का भी निरीक्षण कराने का और उसी प्रकार विश्वविद्यालय के प्रशासन तथा वित्त से सम्बन्धित किसी अन्य विषय के सम्बन्ध मे जाँच कराने का अधिकार होगा ।

(2) जहाँ राज्य सरकार उपधारा (1) के अधीन कोई निरीक्षण या जाँच कराने का विनिश्चय करे, तो वह उसकी सूचना कुलसचिव के माध्यम से विश्वविद्यालय को देंगे, और ऐसे निरीक्षण या जाँच में परिषद् द्वारा नाम–निर्दिष्ट कोई व्यक्ति विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित हो सकेगा और उसे इस रूप में सुनवाई का अधिकार होगा ;

परन्तु ऐसे निरीक्षण या जाँच में विश्वविद्यालय की ओर से कोई व्यक्ति विधि व्यवसाई के रूप में न तो उपस्थित होगा न अभिवचन करेगा और न कोई कार्य करेगा ।

(3) उपधारा (1) के अधीन निरीक्षण या जाँच करने के लिए नियुक्त व्यक्ति या व्यक्तियों को, सिविल न्यायालय की सभी शक्तियाँ होंगी जो उन्हें सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन किसी वाद पर विचार करते समय, शपथ पर साक्ष्य लेने और साक्षियों को उपस्थित कराने के लिए तथा दस्तावेजों और सारवान वस्तुओं को प्रस्तुत करने के निमित्त बाध्य करने के प्रयोजनार्थ प्राप्त है और ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों को दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 345 और 346 के अर्थान्तर्गत सिविल न्यायालय समझा जायेगा और उसके या उनके समक्ष कार्यवाही भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 193 और 228 के अर्थान्तर्गत न्यायिक कार्यवाही समझी जायेगी ।

(4) राज्य सरकार ऐसे निरीक्षण या जाँच के परिणाम के प्रति निर्देश कुलपति को सम्बोधित करेगी और कुलपति, राज्य सरकार के विचार और उस पर की जाने वाली कार्यवाही के सम्बन्ध में राज्य सरकार की सलाह कार्य परिषद् को संसूचित करेगा ।

---

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 42, 2018 की अनुसूची द्वारा निकाला गया।

(5) कुलपति तब ऐसे समय के भीतर, जिसे राज्य सरकार नियत करे उसे कार्य परिषद् द्वारा की गयी या की जाने के लिये प्रतिस्थापित कार्यवाही की रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

(6) यदि विश्वविद्यालय के प्राधिकारी उचित समय के भीतर राज्य सरकार के समाधान के अनुसार कार्यवाही न करे तो राज्य सरकर किसी ऐसे स्पष्टीकरण पर, जिसे विश्वविद्यालय के प्राधिकारी प्रस्तुत करे, विचार करने के पश्चात् ऐसे निर्देश जारी कर सकेगी जिसे वह ठीक समझे और विश्वविद्यालय के प्राधिकारी ऐसे निदेशों का अनुपालन करने के लिये बाध्य होंगे ।

(7) राज्य सरकार कुलाधिपति को, उपधारा (1) के अधीन कराये गये प्रत्येक निरीक्षण या जाँच की और उपधारा (5) के अधीन कुलपति से प्राप्त प्रत्येक संसूचना की और उपधारा (6) के अधीन जारी किये गये प्रत्येक निदेश की और ऐसे निदेश का पालन करने अथवा न करने के सम्बन्ध मे ंप्राप्त प्रत्येक रिपोर्ट या जानकारी की प्रतियां भी भेजेगी।

अध्याय – तीन

विश्वविद्यालय के अधिकारी

विश्वविद्यालय के अधिकारी

14–विश्वविद्यालय के निम्नलिखित अधिकारी होंगे : ––

(क) कुलाधिपति ;

(ख) कुलपति ;

(ग) [1][* * * *] प्रतिकुलपति**]**

(घ) वित्त अधिकारी ;

(ङ) कुल सचिव ;

(च) परीक्षा नियंत्रक, यदि कोई हो ;

(छ) संकायों का संकायाध्यक्ष ;

(ज) छात्र कल्याण के संकायाध्यक्ष ;

(झ) ऐसे अन्य अधिकारी जो परिनियमो ंद्वारा विश्वविद्यालय के अधिकारी घोषित किये जाये ।

कुलाधिपति

15–(1) राज्यपाल विश्वविद्यालय का कुलाधिपति होगा । वह अपने पद के आधार पर विश्वविद्यालय के प्रधान तथा सभा का सभापति होगा और जब वह उपस्थित हो तो सभा के अधिवेशनो ंऔर विश्वविद्यालय के किसी दीक्षान्त समारोह का सभापतित्व करेगा ।

(2) सम्मानिक उपाधि प्रदान करने की प्रत्येक प्रस्थापना कुलाधिपति द्वारा पुष्टि के अध्यधीन होगी ।

(3) कुलपति का यह कर्तव्य होगा कि विश्वविद्यालय के प्रशासन कार्य से सम्बन्धित ऐस जानकारी या अभिलेख, जिन्हें कुलाधिपति मांगे, प्रस्तुत करे ।

(4) The Chancellor shall have such other powers as may be conferred on him by or under the Statute or the Ordinances.

---

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 04, 2004 की धारा 4 द्वारा निकाला गया और उ0प्र0 अधिनियम संख्या 2, 2019 की धारा 05 द्वारा जोड़ा गया।

(4) कुलाधिपति को ऐसी अन्य शक्तियां होंगी जो उसे परिनियमों या अध्यादेशों द्वारा या उनके अधीन प्रदान की जाये ।

16–(1) कुलपति विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा और वह कुलाधिपति द्वारा उपधारा (5) या उपधारा (10) द्वारा यथा उपबन्धित के सिवाय, उन व्यक्तियों मे ंसे नियुक्त किया जायेगा जिनके नाम उपधारा (2) के उपबन्धों के अनुसार गठित समिति द्वारा उसे प्रस्तुत किये गये हों । **कुलपति**

(2) उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :–

(क) कुलपति की पदावधि की समाप्ति के कारण उसके पद में होने वाली रिक्ति की तारीख से कम से कम तीन मास पूर्व एक ऐसा व्यक्ति (जो विश्वविद्यालय, या छात्रावास से सम्बन्धित व्यक्ति न हो) जिसका निर्वाचन कार्य परिषद द्वारा किया जाना है ;

(ख) इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति द्वारा नामनिर्दिष्ट कोई व्यक्ति, जो उच्च न्यायालय का न्यायाधिपति है या रहा हो, जिसके अन्तर्गत उक्त न्यायालय का मुख्य न्यायाधिपति भी है : और

(ग) कुलाधिपति द्वारा नाम–निर्दिष्ट एक व्यक्ति जो समिति का संयोजक भी होगाः

परन्तु जहां कार्य परिषद खण्ड (क) के अनुसार किसी व्यक्ति का निर्वाचन करने में असफल रहती है, वहां कुलाधिपति खण्ड (ग) के अधीन अपने द्वारा नाम–निर्दिष्ट व्यक्ति के अतिरिक्त एक व्यक्ति को कार्य परिषद के प्रतिनिधि के बदले में नाम–निर्दिष्ट करेंगे ।

(3) उपधारा (7) के अधीन पदावधि समाप्ति अथवा पद त्याग के कारण, कुलपति के पद में होने वाली रिक्ति की तारीख से यथाशक्य कम से कम साठ दिन पूर्व और जब कभी भी कुलाधिपति द्वारा अपेक्षा की जाये और ऐसी तारीख के पूर्व जो उसके द्वारा विनिर्दिष्ट की जाये, समिति कुलाधिपति को कम से कम तीन और अधिक से अधिक पाँच ऐसे व्यक्तियों के नाम प्रस्तुत करेगी जो कुलपति का पद धारण करने के उपयुक्त हो । समिति कुलाधिपति को नाम प्रस्तुत करते समय सिफारिश किये गये व्यक्तियों में से प्रत्येक की शैक्षिक अर्हतायें तथा अन्य विशिष्टताओं का एक संक्षिप्त विवरण भी भेजेगी किन्तु वह उसमे कोई अधिमान–क्रम उपदर्शित न करेगी ।

(4) जहां कुलाधिपति समिति द्वारा सिफारिश किये गये व्यक्तियों में से किसी एक या अधिक व्यक्ति को कुलपति नियुक्त किये जाने के उपयुक्त नहीं समझता है अथवा सिफारिश किये गये व्यक्तियों में से एक या एकाधिक व्यक्ति नियुक्ति के लिये उपलब्ध न हो और कुलाधिपति का चयन तीन से कम व्यक्तियों तक सीमित हो तो वह समिति से उपधारा (3) के अनुसार नये नामों की सूची प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकेगा ।

(5) यदि समिति उपधारा (3) या उपधारा (4) में निर्दिष्ट दशा में कुलाधिपति द्वारा विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर किसी नाम का सुझाव देने में असफल या असमर्थ है, या यदि कुलाधिपति समिति द्वारा सिफारिश किये गये नाम वालों में से किसी एक या अधिक को कुलपति नियुक्त किये जाने के लिये उपयुक्त नहीं समझते है तो कुलाधिपति शिक्षा क्षेत्र में

प्रतिष्ठित तीन व्यक्तियों की एक अन्य समिति नियुक्त करेगा जो धारा (3) के अनुसरण में किसी का नाम प्रस्तुत करेगी ।

(6) समिति का कोई कार्य या कार्यवाही केवल इस कारण अविधिमान्य नही की जायेगी कि उसके सदस्यों मे ंकोई रिक्ति या रिक्तियां थी अथवा किसी ऐसे व्यक्ति ने उसकी कार्यवाहियों में भाग लिया जिसके सम्बन्ध मे बाद मे यह पाया जाये कि वह ऐसा करने का हकदार नही था ।

[1][(7) (क) केवल ऐसे व्यक्ति कुलपति के पद पर नियुक्ति के लिए पात्र होगें जिन्होंने 65 वर्ष की आयु प्राप्त न कर ली हो ;

(ख) कुलपति अपने पद का कार्यभार गहण करने की तारीख से 03 वर्ष की अवधि तक अथवा 68 वर्ष की आयु प्राप्त होने तक जो भी पहले हो, पद धारण करेगा ;

(ग) कुलपति जिसने 65 वर्ष की आयु प्राप्त न की हो, को इस रूप में द्वितीय कार्यकाल के लिए नियुक्त किया जा सकता है :

परन्तु कुलाधिपति को सम्बोधित और स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा कुलपति अपना पद त्याग सकेगा और कुलाधिपति द्वारा ऐसा त्यागपत्र मंजूर कर लिये जाने पर वह अपना पद धारण करने से विरत हो जायेगा।]

(8) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुये, कुलपति की उपलब्धियाँ तथा सेवा की अन्य शर्तें ऐसी होगी जो राज्य सरकार साधारण या विशेष आदेश द्वारा इस निमित्त अवधारित करे ।

(9) कुलपति के रूप में अपनी सेवाओं के संबंध में, कुलपति किसी पेंशन, बीमा या भविष्य निधि के फायदे का हकदार न होगा ;

(10) निम्नलिखित किन्हीं भी परिस्थितियों में (जिनके विद्यमान होने का एक मात्र निर्णायक स्वयं कुलाधिपति होगा) कुलाधिपति, किसी उपयुक्त व्यक्ति को छः मास से अनधिक पदावधि के लिय जैसा वह विनिर्दिष्ट करे, कुलपति के पद पर नियुक्त कर सकेगा :–

(क) जहां कुलपति का पद छुट्टी लेने के कारण अथवा पद त्याग या पदावधि की समाप्ति से भिन्न किसी अन्य कारण से, रिक्त हो जाये अथवा उसका रिक्त होना सम्भाव्य हो, तो उसकी सूचना कुलसचिव द्वारा कुलाधिपति को तुरन्त दी जायगी ;

(ख) जहां कुलपति का पद रिक्त हो जाये और उसे उपधरा (1) से (5) के उपबन्धों के अनुसार सुविधा तथा शीघ्रता से भरा न जा सकता हो ;

(ग) किसी अन्य आपात् में :

परन्तु कुलाधिपति इस उपधारा के अधीन कुलपति के पद पर किसी व्यक्ति की नियुक्ति की पदावधि को समय–समय पर बढ़ा सकेगा किन्तु इस प्रकार की ऐसी नियुक्ति की

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 31, 2007 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।

कुल पदावधि (जिसके अन्तर्गत मूल आदेश में नियत अवधि भी है) एक वर्ष से अधिक न हो।

[1][(11) जब तक कि उपधारा (1) या उपधारा (5) या उपधारा (10) के अधीन नियुक्त कुलपति अपने पद का कार्यभार न संभाल ले तब तक प्रतिकुलपति, यदि कोई हो, अथवा जहाँ प्रतिकुलपति न हो विश्वविद्यालय का ज्येष्ठतम आचार्य कुलपति के कर्तव्यों का भी निर्वहन केरगा।]

(12) यदि कुलाधिपति की राय में कुलपति जानबूझकर इस अधिनियम के उपबन्धों की कार्यान्वित नहीं करता है या कार्यान्वित करने से इन्कार करता है या अपने में निहित शक्तियों का दुरूपयोग करता है या यदि कुलाधिपति को अन्यथा यह प्रतीत हो कि कुलपति का पद पर बना रहना विश्वविद्यालय के लिए अहितकर है, तो कुलाधिपति, ऐसी जाँच करने के पश्चात् जैसी वह उचित समझे, आदेश द्वारा कुलपति को हटा सकते है ।

(13) उपधारा (12) में निर्दिष्ट किसी जाँच के लंबित या विचाराधीन रहने के दौरान कुलाधिपति यह आदेश दे सकते है कि जब तक अन्यथा आदेश न दिया जाये, ––

(क) ऐसा कुलपति, कुलपति के पद के कार्य संचालन से विरत रहेगा किन्तु उसे वह उपलब्धियां प्राप्त होती रहेगी जिनके लिए वह अन्यथा उपधारा (8) के अधीन हकदार था ;

(ख) कुलपति के पद के कार्य का संचालन, आदेश में विनिर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा किया जायेगा ।

कुलपति की शक्तियाँ तथा कर्त्तव्य

17– (1) कुलपति विश्वविद्यालय का प्रधान कार्यपालक तथा शैक्षणिक अधिकारी होगा, और,––

(क) विश्वविद्यालय के कार्यकलापों पर साधारण पर्यवेक्षण और नियंत्रण रखेगा ;

(ख) विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों के विनिश्चय को कार्यान्वित करेगा ;

(ग) कुलाधिपति की अनुपस्थिति में सभा के अधिवेशनों और विश्वविद्यालयों के किसी दिक्षांत समारोह का सभापतित्व करेगा ;

(घ) नए छात्रों का उनके ज्येष्ठों द्वारा किसी हिंसक या अशोभनीय रैगिंग के प्रतिषेध को सम्मिलित करते हुए विश्वविद्यालय में अनुशासन बनाये रखने के लिए उत्तरदायी होगा ;

(ङ) विश्वविद्यालय परीक्षाओं का समुचित ढंग से और ठीक समय पर आयोजन और संचालन करने के लिये और यह सुनिश्चित करने के लिये कि ऐसी परीक्षाओं का परीक्षाफल शीघ्रता से प्रकाशित किया जाता है और विश्वविद्यालय का विद्या सत्र समुचित तारीख को प्रारम्भ और समाप्त होता है, उत्तरदायी होगा ।

(2) वह कार्यपरिषद्, विद्या परिषद् तथा वित्त समिति का पदेन सदस्य और अध्यक्ष होगा ।

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2, 2019 की धारा 6 द्वारा बढ़ाया गया।

(3) उसे विश्वविद्यालय के किसी अन्य प्राधिकारी या निकाय के अधिवेशन में बोलने और अन्यथा भाग लेने का अधिकार होगा किन्तु वह इस उपधारा के आधार पर मत देने का हकदार न होगा ।

(4) कुलपति का यह कर्तव्य होगा कि वह इस अधिनियम, परिनियमों तथा अध्यादेशों के उपबन्धों का निष्ठापूर्ण अनुपालन किया जाना सुनिश्चित करे और धारा 15 तथा 53 के अधीन कुलाधिपति की शक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उसे ऐसी सभी शक्तियां प्राप्त होगी जो उस निमित्त, आवश्यक हों ।

(5) कुलपति को कार्य परिषद्, सभा, विद्या परिषद् तथा वित्त समिति के अधिवेशन के बुलाने अथवा बुलवाने की शक्ति होगी ;

परन्तु वह विश्वविद्यालय के किसी अन्य अधिकारी को यह शक्ति प्रत्यायोजित कर सकेगा।

(6) जहाँ विश्वविद्यालय के अध्यापक की नियुक्ति से भिन्न कोई ऐसा अत्यावश्यक मामला है जिसमें तत्काल कार्यवाही करना अपेक्षित हो और उसके सम्बन्ध में कार्यवाही करने के लिए इस अधिनियम द्वारा या के अधीन सशक्त विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या प्राधिकारी या अन्य निकाय द्वारा उस पर तत्काल कार्यवाही न की जा सकें, तो कुलपति ऐसी कार्यवाही कर सकेगा जो वह ठीक समझे और अपने द्वारा की गई कार्यवाही की तत्काल रिपोर्ट वह कुलाधिपति तथा ऐसे अधिकारी, प्राधिकारी अथवा अन्य निकाय को भी देगा जो साधारण क्रम के मामले के सम्बन्ध में कार्यवाही करते :

परन्तु यदि उसमें परिनियमों या अध्यादेशों के उपबन्धों से कोई विचलन हो तो कुलाधिपति के पूर्णानुमोदन के बिना कुलपति ऐसी कार्यवाही नहीं करेगा :

परन्तु यह और कि यदि अधिकारी, प्राधिकारी या अन्य निकाय की राय हो कि ऐसी कार्यवाही नही की जानी चाहिए थी, तो वह मामला कुलाधिपति को निर्दिष्ट कर सकेगा जो या तो कुलपति द्वारा की गयी कार्यवाही की पुष्टि कर सकेगा या उसे निष्प्रभावी कर सकेगा अथवा उसे ऐसी रीति से उपान्तरित करेगा जिसे वह ठीक समझे और तदुपरान्त वह कार्यवाही यथास्थिति प्रभावी नही होगी या उपान्तरित रूप में प्रभावी होगी, किन्तु ऐसे निष्प्रभावीकरण या उपांतर से कुलपति के आदेश द्वारा या उसके अधीन पहले की गयी किसी बात की विधिमान्यता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नही पड़ेगा :

परन्तु यह और भी कि विश्वविद्यालय को सेवा में किसी व्यक्ति को, जो इस उपधारा के अधीन कुलपति द्वारा की गयी कार्यवाही से व्यथित हो, ऐसी कार्यवाही के विरूद्ध उस तारीख से जब उसे ऐसे कार्यवाही के सम्बन्ध में विनिश्चय से संसूचित किया जाये, तीन मास के भीतर कार्य परिषद् को अपील करने का अधिकार होगा और तदुपरान्त कार्य परिषद् कुलपति द्वारा की गयी कार्यवाही को पुष्ट या उपान्तरित कर सकेगी या उसे उलट सकेगी ।

(7) उपधारा (6) में की किसी बात से कुलपति को कोई ऐसा व्यय उपगत करने के लिये सशक्त नहीं समझा जायेगा जो सम्यक रूप से प्राधिकृत न हो और जिनकी व्यवस्था बजट में न की गयी हो ।

(8) जहाँ कुलपति द्वारा उपधारा (6) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी की नियुक्ति की गई हो, तो ऐसी नियुक्ति, विहित रीति

से नियुक्ति दी जाने पर अथवा कुलपति के आदेश की तारीख से छह मास की कालावधि के अवसान पर, जो भी पहले हो, समाप्त हो जायेगी ।

(9) कुलपति ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगा जो परिनियमों तथा अध्यादेशों द्वारा अधिकथित की जाये ।

[1][**18**–यदि कुलपति आवश्यक समझे तो विश्वविद्यालय के आचार्यों में से किसी एक को प्रति–कुलपति नियुक्त कर सकेगा। **प्रतिकुलपति**

(2) उपधारा (1) के अधीन नियुक्त प्रति–कुलपति अपने कर्त्तव्यों का पालन आचार्य के रूप में अपने कर्त्तव्यों के अतिरिक्त करेगा।

(3) प्रति–कुलपति, कुलपति के प्रसाद–पर्यन्त पद धारण करेगा।

(4) प्रति–कुलपति ऐसी धनराशि का विशेष भत्ता प्राप्त करेगा जैसा कि राज्य सरकार द्वारा सामान्य या विशेष आदेशों द्वारा अवधारित किया जाय।

(5) प्रति–कुलपति, ऐसे मामलों में कुलपति की सहायता करेगा जिन्हें कुलपति समय–समय पर इस निमित्त विनिर्दिष्ट करें तथा कुलपति की अनुपस्थिति में वह विश्वविद्यालय के अधिवेशनों का सभापतित्व करेगा और ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कर्त्तव्यों का पालन करेगा जो उसे कुलपति द्वारा सौंपे या प्रत्यायोजित किये जायें।]

19–(1) विश्वविद्यालय के लिए एक वित्त अधिकारी होगा जिसकी नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा, अधिसूचना द्वारा, करेगी और उसके पारिश्रमिक और भत्तों का संदाय विश्वविद्यालय द्वारा किया जायेगा । **वित्त अधिकारी**

(2) वित्त अधिकारी कार्य परिषद् के समक्ष बजट (वार्षिक अनुमानो) और लेखाओं का विवरण प्रस्तुत करने और विश्वविद्यालय की ओर से निधियों को निकांलने और वितरित करने के लिए भी उत्तरदायी होगा ।

(3) उसे कार्य परिषद् मे ंबोलने ओर उसकी कार्यवाहियों में अन्यथा भाग लेने का अधिकार होगा किन्तु वह मत देने का हकदार नही होगा ं

(4) वित्त अधिकारी के निम्नलिखित कर्तव्य होंगे : ––

(क) यह सुनिश्चित करना कि विश्वविद्यालय द्वारा (विनियोजन से भिन्न) कोई व्यय जो बजट में प्राधिकृत न हों, न किया जाय ;

(ख) किसी ऐसे प्रस्तावित व्यय को अस्वीकार करना जो इस अधिनियम के उपबन्धों या किन्हीं परिनियमों या अध्यादेशों के निबन्धनों का उल्लंघन करता हो ;

(ग) यह सुनिश्चित करना कि कोई अन्य वित्तीय अनियमिततायें न की जाय और लेखा परीक्षा के दौरान उपदर्शित किन्हीं अनियमितताओं को ठीक करने के लिये कार्यवाही करना ;

(घ) यह सुनिश्चित करना कि विश्वविद्यालय की सम्पत्ति तथा विनिधानों का सम्यक रूप से परिरक्षण और प्रबन्ध किया जा रहा है ।

(5) वित्त अधिकारी की पहुँच विश्वविद्यालय के ऐसे अभिलेखों ओर दस्तावेजों तक होगी तथा वह उन्हें प्रस्तुत करने और विश्वविद्यालय के कार्यकलापों से सम्बन्धित ऐसी जानकारी देने की अपेक्षा कर सकेगा जो उसकी राय में उसके कर्तव्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक हों ।

(6) वित्त अधिकारी विश्वविद्यालय की ओर से सभी संविदायें करेगा और उन्हें हस्ताक्षरित करेगा ।

(7) वित्त अधिकारी की अन्य शक्तियां और कृत्य ऐसी होंगी जैसी निहित की जाय।

20–(1) कुल सचिव विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक अधिकारी होगा । **कुल सचिव**

(2) कुल सचिव की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा ऐसे निबन्धनों और शर्तो पर की जायगी जैसी विहित की जाय ।

(3) कुल सचिव को विश्वविद्यालय की ओर से अभिप्रमाणित करने की शक्ति होगी।

---

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 04, 2004 की धारा 6 द्वारा निकाला गया और उ0प्र0 अधिनियम संख्या 2, 2019 की धारा 7 द्वारा बढ़ाया गया।

(4) कुल सचिव, विश्वविद्यालय के अभिलेखों और सामान्य मुद्रा की सम्यक अभिरक्षा के लिए उत्तरदायी होगा। वह कार्यपरिषद् का पदेन सचिव होगा और वह कार्यपरिषद् के समक्ष ऐसी समस्त जानकारी प्रस्तुत करने को बाध्य होगा जो उसके कार्य सम्पादन के लिए आवश्यक हो । वह ऐसे अन्य कर्तव्यों का भी पालन करेगा जो कार्य परिषद या कुलपति द्वारा विहित किये जाय या अपेक्षित हो किन्तु वह, इस उपधारा के आधार पर मत देने का हकदार न होगा ।

(5) कुल सचिव को विनियमों द्वारा यथा उपबन्धित के सिवाय विश्वविद्यालय में किसी काम के लिए कोई पारिश्रमिक न तो दिया जायगा और न वह स्वीकार करेगा ।

परीक्षा नियंत्रक

21–(1) परीक्षा नियंत्रक, विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक अधिकारी होगा ।

(2) परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा, अधिसूचना द्वारा की जायेगी और उसके पारिश्रमिक और भत्तों का संदाय विश्वविद्यालय द्वारा किया जायगा ।

(3) परीक्षा नियंत्रक अपने कार्य से सम्बन्धित अभिलेखों की सम्यक अभिरक्षा के लिये उत्तरदायी होगा। वह विश्वविद्यालय की परीक्षा समिति का पदेन सचिव होगा और वह ऐसी समिति के समक्ष ऐसी समस्त जानकारी प्रस्तुत करने को बाध्य होगा जो उसके कार्य सम्पादन के लिए आवश्यक हो। वह ऐसे अन्य कर्तव्यों का भी पालन करेगा जो विनियमों द्वरा विहित किया जाय या जो कार्य परिषद् या कुलपति द्वारा समय–समय पर अपेक्षित हों, किन्तु वह इस उपधारा के आधार पर मत देने का हकदार न होगा ।

(4) कुलपति के अधीक्षणाधीन रहते हुये परीक्षा नियंत्रक अपने अधीन कार्यरत कर्मचारियों के ऊपर प्रशासनिक नियंत्रण रखेगा और उसे इस सम्बन्ध में कुल सचिव की सभी शक्तियां प्राप्त होंगी ।

(5) परीक्षा समिति के अधीक्षणाधीन रहते हुए परीक्षा नियंत्रक परीक्षाओं का संचालन करेगा और उसके लिए आवश्यक सभी प्रबन्ध करेगा और तत्सम्बन्धी सभी प्रक्रियाओं के सम्यक निष्पादन के लिए उत्तरदायी होगा ।

(6) परीक्षा नियंत्रक को, राज्य सरकार के आदेश के अनुसार सिवाय विश्वविद्यालय में किसी काम के लिये कोई पारिश्रमिक न तो दिया जायेगा और न वह स्वीकार करेगा ।

(7) जहाँ परीक्षा नियंत्रक किसी कारणवश कार्य करने में असमर्थ हो या परीक्षा नियंत्रक का पद रिक्त हो तो उसके पद के समस्त कर्तव्यों का पालन, यथास्थिति, परीक्षा नियंत्रक के पुनः कार्यभार सम्भालने या रिक्ति के भरे जाने तक ऐसे व्यक्ति द्वारा सम्पादित किया जायेगा जिसे कुलपति द्वारा नियुक्त किया जाय ।

अन्य अधिकारी

22–कुलाधिपति, कुलपति, [1] [प्रति–कुलपति] वित्त अधिकारी, कुल सचिव और परीक्षा नियंत्रक, यदि कोई नियुक्त हो, से भिन्न विश्वविद्यालय के अधिकारियों की वही शक्तियां होगी जो परिनियमों द्वारा अधिकथित की जायं ।

---

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 04, 2004 की धारा 7 द्वारा निकाला गया और उ0प्र0 अधिनियम संख्या 2, 2019 की धारा 8 द्वारा बढ़ाया गया।

अध्याय – चार

विश्वविद्यालय के प्राधिकारी

विश्वविद्यालय प्राधिकारी

23– विश्वविद्यालय के निम्नलिखित प्राधिकारी होंगे : ––

(क) कार्य परिषद ;

(ख) सभा ;

(ग) विद्या परिषद ;

(घ) वित्त समिति ;

(ङ) संकायों के बोर्ड ;

(च) विश्वविद्यालय के अध्यापकों की नियुक्ति के लिए चयन समितियां ;

(छ) प्रवेश समिति ;

(ज) परीक्षा समिति ; और

(झ) ऐसे अन्य प्राधिकारी जो परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के प्राधिकारी होने के लिये घोषित किये जाये ।

कार्य परिषद का गठन

24–(1) कार्य परिषद् मे धारा 8 में विनिर्दिष्ट अध्यक्ष और अन्य सदस्यों के साथ–साथ सभा के सदस्यों द्वारा उन व्यक्तियों मे से चुने गये चार व्यक्ति होंगे जो विश्वविद्यालय में छात्र के रूप मे नामांकित न हो या उसकी सेवा में न हों ।

[1]**[(1क)** उपर्युक्त उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट सदस्यों के अतिरिक्त, कार्यकारी परिषद में अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों से सम्बंधित विश्वविद्यालय के वरिष्ठतम आचार्यों में से, एक सदस्य और अन्य पिछड़े वर्गों के नागरिकों से संबंधित विश्वविद्यालय के वरिष्ठतम आचार्यों से भी एक सदस्य सम्मिलित होगा, जिसे राज्य सरकार द्वारा कुलपति के परामर्श से, चक्रानुक्रम के आधार पर नामनिर्दिष्ट किया जाएगा।']

(2) कार्य परिषद के पदेन सदस्यों से भिन्न सदस्यों की पदावधि ऐसी होगी जैसी विहित की जाय ।

(3) कोई व्यक्ति कार्य परिषद का सदस्य चुने जाने और बने रहने के लिये अनर्ह, होगा यदि वह या उसका सम्बन्धी विश्वविद्यालय में अथवा उसके निमित्त किसी काम के लिए कोई पारिश्रमिक अथवा विश्वविद्यालय को माल प्रदाय करने की या उसके निमित्त किसी कार्य का निष्पादन करने की कोई संविदा स्वीकार करता है :

परन्तु इस उपधारा की कोई बात किसी अध्यापक द्वारा इस रूप में अथवा विश्वविद्यालयय द्वारा संचालित किसी परीक्षा के सम्बन्ध में किन्ही कर्तव्यों का पालन करने के लिये अथवा किसी प्रशिक्षण इकाई या किसी छात्रावास के अधीक्षक या वार्डेन अथवा प्राक्टर या ट्यूटर के रूप में किन्हीं कर्तव्यों के लिये अथवा विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में तत्सदृश किन्हीं कर्तव्यो के लिये कोई पारिश्रमिक स्वीकार करने पर लागू न होगी ।

स्पष्टीकरण :– इस धारा में "नातेदार" का तात्पर्य [2][समय–समय पर यथा संशोधित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 में परिभाषित और कम्पनी (परिभाषाओं के ब्योरों का विनिर्देश) नियम, 2014 के नियम 4 के अधीन विहित] नातेदारों से है और इसके अन्तर्गत पत्नी (या पति) का भाई, पत्नी (या पति) का पिता, पत्नी (या पति) की बहन, भतीजा और भतीजी भी है।

1. उ0प्र0 अधिनियम संख्या 2, 2026 की धारा 2 द्वारा बढ़ाया गया।
2. उ0प्र0 अधिनियम संख्या 2, 2019 की धारा 9 द्वारा प्रतिस्थापित।

कार्य परिषद की शक्तियां और कर्तव्य

25–(1) कार्य परिषद विश्वविद्यालय की मुख्य कार्यकारी निकाय होगी और इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए उसकी निम्नलिखित शक्तियां होंगी, अर्थात् :––

(एक) विश्वविद्यालय की सम्पत्ति और निधियों को धारण करना और उन पर नियंत्रण रखना ;

(दो) विश्वविद्यालय की ओर से किसी जंगम या स्थावर सम्पत्ति का अर्जन या अन्तरण करना ;

(तीन) परिनियमों और अध्यादेशों को बनाना, संशोधित करना या निरस्त करना ;

(चार) विशिष्ट प्रयोजनों के लिए विश्वविद्यालय के व्ययनाधिकार से रखी गई किसी निधि का प्रशासन करना ;

(पाँच) विश्वविद्यालय का बजट तैयार करना ;

(छः) परिनियमों और अध्यादेशों के अनुसार छात्रवृत्तियां, अधि–छात्रवृत्तियां, निर्धन छात्रवृत्तियां, पदक और अन्य पारितोषिक प्रदान करना ;

(सात) विश्वविद्यालय के अधिकारियों, अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों को नियुक्त करना और उनके कर्तव्यों और उनकी सेवा की शर्तों को परिभाषित करना और उनके पदों की अस्थायी आकस्मिक रिक्तियों को भरने की व्यवस्था करना ;

(आठ) परीक्षकों की फीस, उपलब्धियां तथा यात्रा और अन्य भत्ते नियत करना ;

(नौ) विश्वविद्यालय को सामान्य मुद्रा का आकार और उसके प्रयोग के सम्बन्ध में निदेश देना ;

(दस) विश्वविद्यालय के अध्यापक वर्ग, प्रशासकीय वर्ग और अन्य कर्मचारी वर्ग के सदस्यों में परिनियमों और अन्य अध्यादेशों के अनुसार अनुशासन को विनियमित और प्रवर्तित करना ;

(ग्यारह) विश्वविद्यालय के वित्त, लेखाओं, विनिधानों, सम्पत्ति, कारोबार और अन्य सभी प्रशासनिक मामलों का प्रबन्ध और विनियमन करना और उक्त प्रयोजन के लिये ऐसे अभिकर्ता नियुक्त करना, जिन्हें वह ठीक समझे ;

(बारह) विश्वविद्यालय के किसी धन की (जिसके अन्तर्गत किसी न्यास या विन्यासित सम्पत्ति से होने वाली कोई आय भी है) ऐसे स्टाक, निधियों, शेयरों, या प्रतिभूतियों में, जिन्हें वह समय–समय पर ठीक समझे, या भारत में स्थावर सम्पत्ति को क्रय करने में विनिहित करना और समय–समय पर ऐसे विनिधान में परिवर्तन करना ;

(तेरह) विश्वविद्यालय के कार्य को करने के लिये आवश्यक भवनों, परिसरों, फर्नीचर और साधित्र और अन्य साधनों की व्यवस्था करना ;

(चौदह) विश्वविद्यालय की ओर से संविदा करना, उनमें परिवर्तन करना, उन्हें कार्यान्वित करना और निरस्त करना ;

(पन्द्रह) इस अधिनियम, परिनियमों और अध्यादेशों के अनुसार विश्वविद्यालय से सम्बन्धित अन्य सभी विषयों को विनियमित करना और अवधारित करना ।

(2) राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना कार्य परिषद, बन्धक, विक्रय, विनिदान, दान या अन्यथा विश्वविद्यालय की किसी स्थावर सम्पत्ति का (सिवाय साधारण प्रबन्ध के अनुक्रम में मासानुमास किराये पर देने के) न तो अन्तरण करेगी और न, सिवाय राज्य

सरकार के पूर्व अनुमोदन से किसी अन्य व्यक्ति से, उसकी प्रतिभूति पर कोई धन उधार या अग्रिम लेगी ।

(3) राज्य सरकार का पूर्वानुमोदन प्राप्त किये बिना कोई ऐसा व्यय उपगत नही किया जायेगा जिसके सम्बन्ध में इस अधिनियम या परिनियमों अथवा अध्यादेशो द्वारा ऐसा अनुमोदन अपेक्षित हो और राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के सिवाय अथवा राज्य सरकार के किसी सामान्य या विशेष आदेश के अनुसार के सिवाय कोई भी पद विश्वविद्यालय में सृजित नही किया जायेगा ।

(4) विश्वविद्यालय के विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों के वेतन और अन्य भत्ते वहीं होंगे जो राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित किये जायें ।

(5) कार्य परिषद, प्रत्येक वित्तीय वर्ष में आवर्ती और अनावर्ती व्यय के लिये वित्त समिति द्वारा नियत सीमा से अधिक व्यय उपगत नहीं करेगी ।

(6) विद्या परिषद् और सम्बन्धित संकायों के बोर्डो के परामर्श पर विचार किये बिना कार्य परिषद, अध्यापकों की संख्या, अर्हताओं और उपलब्धियों और परीक्षकों को संदेय फीस के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नही करेगी ।

(7) कार्य परिषद, सभा के प्रत्येक संकल्प पर सम्यक विचार करेगी और उस पर ऐसी कार्यवाही करेगी जिसे वह ठीक समझें और सभा को, यथास्थिति, की गयी कार्यवाही या संकल्प स्वीकार न करने के कारणों की रिपोर्ट देगी ।

(8) कार्य परिषद, परिनियमों में अधिकथित किन्हीं शर्तों के अधीन रहते हुए विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या किसी अन्य प्राधिकारी को या अपने द्वारा नियुक्त किसी समिति को, अपनी कोई शक्ति, जिसे वह ठीक समझे, प्रत्यायोजित कर सकेगी ।

26– (1) सभा में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् : —— **सभा**

<u>वर्ग – 1 – पदेन सदस्य</u>

(एक) कुलाधिपति ;

(दो) कार्य परिषद के सदस्य ;

(तीन) वित्त अधिकारी ;

<u>वर्ग – 2 – आजीवन सदस्य</u>

(चार) ऐसे भारतीय, जिन्होने विश्वविद्यालय को दो लाख रूपये से अन्यून का संदान किया है ;

(पांच) ऐसे अप्रवासी भारतीय जिन्होंने विश्वविद्यालय को दस हजार से अन्यून पाउण्ड, स्ट्रेलिंग या उसके समतुल्य कोई अन्य विदेशी मुद्रा का संदान किया है ;

<u>वर्ग – 3 – अध्यापकों आदि के प्रतिनिधित्व</u>

(छः) विश्वविद्यालय के संकायाध्यक्ष और अन्य सभी विभागाध्यक्ष ;

(सात) विश्वविद्यालय के छात्रावासों के प्रोवोस्टों और वार्डनों के दो प्रतिनिधि जिनका चयन विहित रीति से चक्रानुक्रम में किया जाना है ;

(आठ) दस अध्यापक जिनका चयन विहित रीति से किया जाना है ;

वर्ग – 4 – रजिस्ट्रीकृत स्नातक

(नौ) रजिस्ट्रीकृत स्नातकों के पन्द्रह प्रतिनिधि जो ऐसी अवस्थिति के रजिस्ट्रीकृत स्नातकों द्वारा, जैंसा विहित किया जाए, ऐसे रजिस्ट्रीकृत स्नातको ंमें से निर्वाचित किये जायेंगे जो विश्वविद्यालय की सेवा में न हों ;

वर्ग – 5 – छात्रों का प्रतिनिधित्व

(दस) प्रत्येक संकाय का एक छात्र जो उस संकाय में विश्वविद्यालय के पूर्ववर्ती स्नातक परीक्षा में उच्चतम अंक प्राप्त करने के पश्चात् विश्वविद्यालय मे स्नातकोत्तर मेडिकल उपाधि के लिये शिक्षा पाठ्यक्रम का अध्ययन कर रहा हो ;

वर्ग – 6 – राज्य विधान मण्डल के प्रतिनिधि

(ग्यारह) विधान परिषद द्वारा निर्वाचित उसका एक सदस्य ;

(बारह) विधान सभा द्वारा निर्वाचित उसके दो सदस्य ।

(2) उपधारा (1) में उल्लिखित सिवाय वर्ग 1, 2 और 5 के प्रत्येक वर्ग के सदस्यों की पदावधि तीन वर्ष होगी और उक्त वर्ग 5 के सदस्यों की पदावधि एक वर्ष होगी ।

सभा की शक्तियां और कर्तव्य

27–सभा इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुये एक सलाहकार निकाय होगी । उसकी निम्नलिखित शक्तियां और कृत्य होंगी, अर्थात् : ––

(क) विश्वविद्यालय की व्यापक नीतियों एवं उसके कार्यक्रमों का समय–समय पर पुनर्विलोकन करना और विश्वविद्यालय के सुधार और विकास के लिये उपायों का सुझाव देना ;

(ख) विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट, वार्षिक लेखाओं और उनकी सम्परीक्षा रिपोर्ट पर विचार करना और संकल्प पारित करना ;

(ग) कुलाधिपति को किसी ऐसे विषय के सम्बन्ध मे जो उसे सलाह के लिये निर्दिष्ट किये जाए सलाह देना ; और

(घ) ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करना तथा कृत्यों का संपादन करना जो उसे इस अधिनियम या परिनियमों या कुलाधिपति द्वारा सौंपे जांय ।

सभा का अधिवेशन

28–(1) सभा का अधिवेशन वर्ष में एक बार ऐसे दिनांक को होगा जो कुलपति द्वारा नियत किया जाये और ऐसा अधिवेशन सभा का वार्षिक अधिवेशन कहलायेगा ।

(2) कुलपति जब कभी ठीक समझे सभा के सदस्यों की कुल संख्या का कम से कम एक चौथाई सदस्यों के हस्ताक्षर से लिखित अधियाचन पर सभा का विशेष अधिवेशन बुला सकेगा ।

विद्या परिषद्

29–(1) विद्या परिषद, विश्वविद्यालय की मुख्य विद्या निकाय होगी और इस अधिनियम, परिनियमों तथा अध्यादेशों के अधीन रहते हुए,–

(क) विश्वविद्यालय में दिये जाने वाले शिक्षण, शिक्षा और किये जाने वाले अनुसंधान कार्य के स्तर को बनाये रखने के लिए उत्तरदायी होगी और उसका नियंत्रण और साधारण विनियमन करेगी ;

(ख) विद्या सम्बन्धी समस्त विषयों पर जिनके अन्तर्गत विश्वविद्यालयों द्वारा संचालित परीक्षाओं से सम्बन्धित विषय भी है, कार्य परिषद् को सलाह दे सकेगी ; और

(ग) उसकी ऐसी अन्य शक्तियां तथा कर्तव्य होंगे जो उसे परिनियमों द्वारा प्रदत्त हों या उस पर अधिरोपित किये जायें ।

(2) विद्या परिषद् में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :——

(एक) कुलपति ;

(दो) [1][संकायों के संकायाध्यक्ष] ;

(तीन) विश्वविद्यालय के सभी अन्य विभागाध्यक्ष ;

(चार) विश्वविद्यालय के सभी आचार्य जो विभागाध्यक्ष न हो ;

(पांच) किंग जार्ज मेडिकल कालेज या राज्य मेडिकल कालेजों के सेवानिवृत्त दो प्राचार्य जिनका विहित रीति से चयन किया जायेगा ;

(छः) पांच अध्यापक जिनका विहित रीति से चयन किया जाना है ;

(सात) छात्र कल्याण के संकायाध्यक्ष ;

(आठ) विश्वविद्यालय के पुस्तकालयाध्यक्ष ; और

(नौ) शिक्षा क्षेत्र में प्रख्यात पांच व्यक्ति जो विहित रूप से सहयोजित किये जायेंगे।

वित्त समिति

30–(1) वित्त समिति में निम्नलिखित होंगे,——

(क) कुलपति ;

(ख) राज्य सरकार के चिकित्सा शिक्षा विभाग का प्रमुख सचिव ;

(ग) राज्य सरकार के वित्त विभाग का प्रमुख सचिव ;

(घ) [2][प्रतिकुलपति, यदि कोई हो] ;

(ङ) कुल सचिव ;

(च) परीक्षा नियंत्रक ;

(छ) वित्त अधिकारी जो समिति का सचिव भी होगा ।

(2) उपधारा (1) के खण्ड (ख) या खण्ड (ग) में निर्दिष्ट कोई सदस्य वित्त समिति की किसी बैठक में स्वयं भाग लेने के बजाय राज्य सरकार के संयुक्त सचिव से अनिम्न पद के किसी अधिकारी को प्रतिनियुक्त कर सकता है और इस प्रकार प्रतिनियुक्त अधिकारी को मत देने का भी अधिकार होगा ।

1. उ0प्र0 अधिनियम संख्या 2, 2019 की धारा 10 द्वारा प्रतिस्थापित।

2. उ0प्र0 अधिनियम संख्या 4, 2004 की धारा 8 द्वारा निकाला गया एवं उ0प्र0 अधिनियम संख्या 2, 2019 की धारा 11 द्वारा बढ़ाया गया।

(3) वित्त समिति कार्य परिषद को विश्वविद्यालय की सम्पत्ति तथा निधियों के प्रशासन से सम्बद्ध विषयो पर सलाह देगी । वह विश्वविद्यालय की आय तथा साधनों को ध्यान में रखते हुए, आगामी वित्तीय वर्ष के लिए कुल आवर्ती तथा अनावर्ती व्यय की सीमा नियत करेगी और किसी विशेष कारण से वित्तीय वर्ष के दौरान इस प्रकार नियत व्यय की सीमा को पुनरीक्षित कर सकेगी और इस प्रकार नियत सीमा कार्य परिषद् पर आबद्धकर होगी।

(4) वित्त समिति की ऐसी अन्य शक्तियां तथा कर्तव्य होंगे जो इस अधिनियम या परिनियमों द्वारा उसे प्रदत्त हो अथवा उस पर अधिरोपित किये जायें ।

संकाय

31–(1) [1][विश्वविद्यालय में चिकित्सा, और दन्त चिकित्सा, परिचर्या, परा–चिकित्सा और ऐसे अन्य संकाय होंगे जैसा विहित किया जाय।]

(2) प्रत्येक संकाय में अध्यापन के ऐसे विभाग होंगे जो विहित किये जायें और प्रत्येक विभाग में ऐसे पाठ्य विषय होंगे जो उसे अध्यादेश द्वारा सौंपे जायें।

(3) प्रत्येक संकाय का एक बोर्ड होगा, जिसका गठन (जिसके अन्तर्गत उसके सदस्यों की पदावधि भी है) तथा शक्तियां और कर्तव्य वहीं होगे जो विहित किये जायें।

(4) प्रत्येक संकाय का एक संकायाध्यक्ष होगा जो आचार्यों में से चक्रानुक्रम से ज्येष्ठता क्रम मे चुना जायेगा और तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा ।

(5) संकायाध्यक्ष संकाय के बोर्ड का अध्यक्ष होगा और वह,——

(क) संकाय के विभागों में अध्यापन तथा अनुसंधान कार्यों के संगठन तथा संचालन; और

(ख) संकाय से सम्बन्धित परिनियमों, अध्यादेशों तथा विनियमों के सम्यक् पालन के लिए उत्तरदायी होगा।

(6) विश्वविद्यालय के प्रत्येक अध्यापन विभाग में एक विभागाध्यक्ष होगा जिसकी नियुक्ति परिनियमों द्वारा विनियमित की जायेगी :

परन्तु प्रत्येक व्यक्ति जो इस उपधारा के प्रारम्भ होने के दिनांक के ठीक पूर्व विभागाध्यक्ष का पद धारण कर रहा हो, इस अधिनियम और परिनियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए उन्हीं शर्तों तथा निबन्धनो पर पदधारण किये रहेगा जिन पर उक्त दिनांक के ठीक पूर्व धारण किये हो ।

(7) विभागाध्यक्ष अपने विभाग में अध्यापन के संगठन के लिए संकायाध्यक्ष के प्रति उत्तरदायी होगा और उसकी अन्य शक्तियां और कर्तव्य होंगे जो अध्यादेशों में उपबन्धित किये जायें।

(8) विभिन्न पाठ्य विषयों के सम्बन्ध में अध्यादेशों के उपबन्धों के अनुसार, अध्ययन बोर्डों को गठित किया जायेगा और एक अध्ययन बोर्ड को एक से अधिक विषय सौंपे जा सकेंगे ।

प्रवेश समिति

32–(1) विश्वविद्यालय की एक प्रवेश समिति होगी जिसका गठन अध्यादेशों में यथा उपबन्धित रूप में होगा।

---

1. उ0प्र0 अधिनियम संख्या 2, 2019 की धारा 12 द्वारा प्रतिस्थापित।

(2) प्रवेश समिति को उतनी उप–समितियां नियुक्त करने की शक्ति होगी जितनी वह ठीक समझे ।

(3) विद्या परिषद के अधीक्षणाधीन तथा उपधारा (5) के उपबन्धों के अधीन रहते हुये प्रवेश समिति विश्वविद्यालय के विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश की नीतियों को शासित करने वाले सिद्धांतों या प्रतिमानों का अधिकथित करेगी ।

(4) उपधारा (5) के अधीन रहते हुए प्रवेश समिति प्रवेश के लिए मापदण्ड या रीति जिसके अन्तर्गत प्रविष्ट किये जाने वाले छात्रों की संख्या भी है के सम्बन्ध में कोई निर्देश दे सकेगी ।

(5) इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध में किसी बात के होते हुए भी विश्वविद्यालय में किसी पाठ्यक्रम में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों के छात्रों के प्रवेश के लिए ऐसी विधि या आदेशों द्वारा स्थान आरक्षित और विनियमित किये जा सकेंगे जिसे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा उस निमित्त बनाये ।

(6) पूर्ववर्ती उप धाराओं में किसी बात के होते हुए भी पूर्व स्नातक और स्नातकोत्तर कक्षाओं के लिए प्रवेश राज्य सरकार के किन्हीं आदेशों के अधीन रहते हुए नियत दिनांक के ठीक पूर्व किंग जार्ज मेडिकल कालेज के लिए प्रयोज्य उपबन्धों द्वारा शासित जारी, होते रहेंगे ।

(7) इस धारा के उपबन्धों का उल्लंघन करके विश्वविद्यालय में प्रविष्ट किसी छात्र को विश्वविद्यालय द्वारा संचालित किसी परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जायेगी और ऐसा उल्लंघन करके दिये गये किसी प्रवेश को रद्द करने की कुलपति को शक्ति होगी ।

परीक्षा समिति

33–(1) विश्वविद्यालय में एक परीक्षा समिति होगी, जो अध्यादेशो में यथा उपबन्धित रूप में गठित की जायेगी ।

(2) समिति साधारणतया विश्वविद्यालय की सभी परिक्षाओं का जिसके अन्तर्गत अनुसीमन तथा सारणीकरण भी है, पर्यवेक्षण करेगी और निम्नलिखित अन्य कृत्यों का पालन करेगी, अर्थात् ––

(क) परीक्षकों तथा अनुसीमकों को नियुक्त करना तथा यदि आवश्यक हो तो उन्हें हटाना ;

(ख) विश्वविद्यालय की परीक्षाओं के परिणामों का समय–समय पर पुनर्विलोकन करना और उसके बारे में विद्या परिषद् को रिपोर्ट प्रस्तुत करना ;

(ग) परीक्षा की पद्धति में सुधार के लिए विद्या परिषद् से सिफारिश करना ;

(घ) अध्ययन बोर्ड द्वारा प्रस्तावित परीक्षकों की सूची की संवीक्षा करना, उसे अन्तिम रूप देना और विश्वविद्यालय के परीक्षा परिणामों की घोषणा करना ।

(3) परीक्षा समिति उतनी उप समितियां नियुक्त कर सकेगी जितनी वह ठीक समझे और विशिष्ट या किसी एक या अधिक व्यक्तियों अथवा उप समितियों को परीक्षार्थियों द्वारा अनुचित साधनों का प्रयोग करने से सम्बन्धित मामलों के सम्बन्ध में कार्यवाही करने

तथा उन पर विनिश्चय करने की शक्ति प्रत्यायोजित कर सकेगी ।

(4) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, किसी परीक्षा समिति या यथास्थिति किसी उप समिति या किसी व्यक्ति के लिये, जिसे परीक्षा समिति ने उपधारा (3) के अधीन इस निमित्त अपनी शक्ति का प्रत्यायोजन किया हो, विश्वविद्यालय की भावी परीक्षाओं से किसी परीक्षार्थी को विवर्जित करना विधिपूर्ण होगा, यदि उसकी राय में ऐसा परीक्षार्थी किसी परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग करने का दोषी है ।

अन्य प्राधिकारी

34–विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकारियों का गठन, उनकी शक्तियाँ तथा कर्तव्य वहीं होंगे जो विहित किये जाय ।

अध्याय – पाँच

अध्यापकों तथा अधिकारियों की नियुक्ति तथा सेवा की शर्तें

अध्यापकों की नियुक्ति

35–(1) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, अध्यापक कार्य परिषद द्वारा एक चयन समिति की सिफारिश पर एतत्पश्चात् उपबन्धित रीति से नियुक्त किये जायेंगे । चयन समिति की बैठक उतनी बार होगी जितनी आवश्यक हो ।

(2) प्रत्येक ऐसे अध्यापक की नियुक्ति जो उपधारा (3) के अधीन की गई नियुक्ति न हो, प्रथमतः एक वर्ष के लिये परिवीक्षा पर होगी जिसे कार्य परिषद् द्वारा एक वर्ष से अनधिक अवधि के लिये बढ़ाया जा सकेगा :

परन्तु परिवीक्षा की अवधि के दौरान या उसकी समाप्ति पर, सेवा समाप्ति का कोई आदेश पारित नहीं किया जायेगा जब तक कि विश्वविद्यालय के अध्यापक की दशा में, कुलपति और सम्बद्ध विभागाध्यक्ष (जब तक कि अध्यापक स्वयं विभागाध्यक्ष न हो) की रिपोर्टों पर विचार करने के पश्चात् कार्य परिषद् आदेश न दे दे :

परन्तु यह और कि सम्बद्ध अध्यापक को, प्रस्तावित सेवा समाप्ति के आधारों के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण का अवसर देते हुए नोटिस दिये बिना, सेवा समाप्ति का ऐसा कोई आदेश नहीं दिया जायेगा :

परन्तु यह भी यदि, यथास्थिति परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि की समाप्ति के पूर्व नोटिस दी जाये तो परिवीक्षा अवधि तब तक के लिये बढ़ जोयगी तब तक कि प्रथम परन्तुक के अधीन कार्य परिषद् का अंतिम आदेश न दे दिये जाये ।

(3) (क) [1][आचार्य अपर आचार्य या सह आचार्य] से भिन्न विश्वविद्यालय के किसी अध्यापक की दशा में, संकाय के संकायाध्यक्ष और सम्बद्ध विभागाध्यक्ष और कुलाधिपति द्वारा इस निमित्त नाम–निर्दिष्ट एक विशेषज्ञ के परामर्श से, कुलपति किसी अध्यापक को छुट्टी मंजूर किये जाने के कारण हुई रिक्ति पर चयन समिति को निर्देश किये बिना दस मास से अनधिक की कालावधि के लिये स्थानापन्न नियुक्ति कर सकेगी किन्तु अन्य रिक्ति या पद जिसको छः मास से अधिक की कालावधि के लिये होना सम्भाव्य हो, ऐसे निर्देश के बिना नहीं भरेगी ।

(ख) जहाँ इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व या पश्चात कोई अध्यापक (चयन समिति को निर्देश देने के पश्चात्) ऐसे अस्थायी पद पर नियुक्त किया हो जिसके छः मास से अधिक चलने की सम्भावना रही हो, और जिस पद को बाद में स्थायी पद पर परिवर्तित

---

1. उ0प्र0 अधिनियम संख्या 2, 2019 की धारा 13 द्वारा बढ़ाया गया।

कर दिया गया हो, या किसी स्थायी पद पर ऐसी रिक्ति में नियुक्त किया गया हो, जो पदधारी को दस मास से अधिक अवधि के लिये छुट्टी देने के कारण हुई हो और ऐसा पद बाद में स्थायी रूप से रिक्त हो जाय या उसी विभाग में उसी संवर्ग और श्रेणी का कोई अन्य पद रिक्त या नव सृजित हो वहां कार्य परिषद् यदि कारण बताने का अवसर देने के पश्चात् उसकी सेवा समाप्त करने का विनिश्चय नहीं करता तो ऐसे अध्यापक को उस पद पर अधिष्ठायी रूप से, चयन समिति को निर्देश के बिना नियुक्त कर सकेगा :

परन्तु यह खण्ड तब तक लागू नहीं होगा जब तक कि सम्बन्धित अध्यापक, ऐसी अधिष्ठायी नियुक्त के समय, उस पद के लिए विहित अर्हतायें धारण न करता हो और चयन समिति को निर्देश के पश्चात् हुई नियुक्ति के बाद उसने लगातार एक वर्ष तक काम न किया हो :

परन्तु यह और कि इस खण्ड के अधीन अधिष्ठायी रूप में नियुक्त कोई ऐसा अध्यापक जिसने ऐसी नियुक्ति के पूर्व दो वर्ष से कम अवधि पर्यन्त लगातार काम किया हो, एक वर्ष की अवधि के लिए परीवीक्षा पर रखा जायगा जिसे एक वर्ष से अनधिक अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है और उपधारा (2) के उपबन्ध तद्नुसार लागू होंगे ।

(4) अध्यापक की नियुक्ति के लिये चयन समिति में निम्नलिखित होंगे : ––

(i) कुलपति, जो उसका अध्यक्ष होगा ;

(ii) संबद्ध विभागाध्यक्ष :

परन्तु विभागाध्यक्ष उस दशा में चयन समिति में नहीं बैठेगा जब वह स्वयं नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी हो अथवा जब संबद्ध पद उसके अधिष्ठायी पद से पंक्ति में ऊँचा हो, और ऐसी दशा में उसका पद विभाग के ज्येष्ठतम् आचार्य द्वारा और यदि कोई आचार्य नही है तो संकायाध्यक्ष द्वारा भरा जायगा :

परन्तु यह और कि जहाँ कुलाधिपति का यह समाधान हो जाय कि मामले की विशेष परिस्थितियों में, पूर्ववर्ती परन्तुक के अनुसार चयन समिति का गठन नहीं किया जा सकता है, वहाँ वह ऐसी रीति से चयन समिति का गठन करने का निदेश दे सकते हैं, जैसी वे उचित समझें ;

(iii) किसी [1][आचार्य, अपर आचार्य या सह आचार्य] की दशा में तीन विशेषज्ञ, और किसी अन्य दशा में दो विशेषज्ञ जो कुलाधिपति द्वारा नाम निर्दिष्ट किये जायेंगे ।

(5) (क) प्रत्येक पाठ्य विषय के लिए भारतीय विश्वविद्यालयों के तत्स्थानिक संकाय या उत्तर प्रदेश में अथवा उसके बाहर स्थित ऐसे विद्या निकायों या अनुसंधान संस्थाओं से जिन्हें कुलपति आवश्यक समझे, परामर्श करने के पश्चात् कुलाधिपति छः या उससे अधिक विशेषज्ञों का एक पैनल बनाएगा। उपधारा (4) के अधीन कुलाधिपति द्वारा नाम–निर्दिष्ट किया जाने वाला प्रत्येक विशेषज्ञ वही व्यक्ति होगा जिसका नाम ऐसे पैनल में दिया हो ।

---

1. उ0प्र0 अधिनियम संख्या 2, 2019 की धारा 13 द्वारा प्रतिस्थापित।

(ख) खण्ड (क) में निर्दिष्ट कोई पैनल प्रत्येक तीन वर्ष के पश्चात् पुनरीक्षित किया जायेगा ।

स्पष्टीकरण – (1) इस उपधारा के प्रयोजनो के लिए ऐसे विषय की शाखा को जिससे स्नातकोत्तर उपाधि के लिए पृथक पाठ्यक्रम विहित हो, पृथक पाठ्य विषय समझा जायेगा ।

स्पष्टीकरण – (2) जहाँ चयन किए जाने वाले अध्यापक का पद एक से अधिक पाठ्य विषय के लिए हो तो विशेषज्ञ उनमें से किसी एक पाठ्य विषय का हो सकेगा ।

(ग) कुलाधिपति, चयन समिति में अपने नाम निर्देशितियों के रूप में कार्य करने के लिए विशेषज्ञों के उतने नामों से अधिक नाम, जो उपधारा (4) के अधीन अपेक्षित है, विनिर्दिष्ट आदेश से संसूचित कर सकेगा । ऐसे मामले में जब कोई व्यक्ति जिसका नाम विनिर्दिष्ट क्रम में ऊपर दिया गया हो, चयन समिति के अधिवेशन के लिए उपलब्ध न हो तो उस व्यक्ति से जिसका नाम विनिर्दिष्ट क्रम में उसके ठीक नीचे हो, समिति में कार्य करने के लिए अनुरोध किया जायगा ;

(6) उपधारा (4) में निर्दिष्ट चयन समिति द्वारा की गयी किसी सिफारिश को तब तक विधिमान्य नही समझा जायगा जब तक कि विशेषज्ञों में से एक विशेषज्ञ ऐसे चयन से सहमत न हो ।

(7) उपधारा (6) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, किसी चयन समिति की कुल सदस्यता के बहुमत से ऐसी समिति की गणपूर्ति होगी :

परन्तु [1][आचार्य या अपर आचार्य या सह आचार्य] के मामले में गणपूर्ति के लिए उपस्थित व्यक्तियों में कम से कम दो विशेषज्ञ सम्मिलित होंगे ––

(8) यह चयन समिति पर निर्भर होगा कि वह प्रत्येक पद के लिये एक या एकाधिक किन्तु तीन से अनाधिक नामों की सिफारिश करें ।

(9) किसी अध्यापक की नियुक्ति की दशा में यदि कार्य परिषद चयन समिति द्वारा की गयी सिफारिश से सहमत न हो तो कार्य परिषद उस मामले को असहमति के कारणों सहित कुलाधिपति को निर्दिष्ट करेगा और उसका विनिश्चय अन्तिम होगा :

परन्तु यह कि यदि कार्य परिषद चयन समिति के अधिवेशन की तारीख से चार मास की अवधि के भीतर समिति की सिफारिशों पर विनिश्चय न करे, तब भी मामला कुलाधिपति को निर्दिष्ट माना जायगा, और उनका विनिश्चय अन्तिम होगा ।

(10) अध्यापकों की नियुक्ति के लिये चयन समिति के सदस्यों की ऐसी समितियों में विचार विमर्श में भाग लेने में हित होने के आधार पर अनर्हता और ऐसे अध्यापकों की नियुक्ति से संबंधित अन्य विषय परिनियमों द्वारा विहित किये जायेंगे ।

(11) इस धारा के अधीन किसी नियुक्ति के लिये चयन तब तक नहीं किया जायगा जब तक वह रिक्ति कम से कम दो ऐसे समाचार–पत्रों के तीन अंकों में विज्ञापित न कर दी जाय जिसका उत्तर प्रदेश में पर्याप्त परिचालन हो।

---

1. उ0प्र0 अधिनियम संख्या 2, 2019 की धारा 13 द्वारा प्रतिस्थापित।

सहयुक्त प्राचार्य एवं प्राचार्य के पद पर पदोन्नति

[1][**36**–(1) इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध में दी गयी किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, विश्वविद्यालय में इस धारा के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त कोई सहायक आचार्य या मौलिक रूप से नियुक्त या पदोन्नत कोई सह आचार्य या अपर आचार्य जिनकी उतनी सेवा की अवधि हो और जो ऐसी अर्हतायें रखता हो, जैसी विहित की जायें, को क्रमशः सह आचार्य या अपर आचार्य या आचार्य पद पर वैयक्तिक पदोन्नति दी जा सकेगी ।]

(2) उपधारा (1) के अधीन ऐसी वैयक्तिक पदोन्नति धारा 35 की उपधारा (4) के अधीन गठित चयन समिति की सिफारिश पर, ऐसी रीति से और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जैसी विहित की जाय, दी जायगी ।

विश्वविद्यालयों के अध्यापकों की नियुक्ति संविदा

37–(1) परिनियमों द्वारा अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, विश्वविद्यालय को कोई वैतनिक अधिकारी और अध्यापक, सिवाय ऐसी लिखित संविदा के जो इस अधिनियम, परिनियमों तथा अध्यादेशों के उपबन्धों के अनुरूप होगी नियुक्त नहीं किया जायगा ।

(2) मूल संविदा कुलसचिव के पास रखी जाएगी और उसकी एक प्रति सम्बन्धित अधिकारी या अध्यापक को दी जाएगी ।

(3) किसी संविदा या अन्य लिखत में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, विश्वविद्यालय के किसी अध्यापक को, ऐसे विस्तार तक के सिवाय, यदि कोई हो, और ऐसी शर्तों और निबन्धनों के अधीन रहते हुए जैसा राज्य सरकार साधारण या विशेष आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करें, प्राइवेट चिकित्सा व्यवसाय (प्रैक्टिस) करने का अधिकार नहीं होगा ।

पेंशन भविष्य निधि आदि

38–विश्वविद्यालय अपने अधिकारियों, अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों के फायदे के लिए ऐसी रीति से और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो राज्य सरकार द्वारा सामान्य और विशेष आदेश द्वारा विहित की जाए, ऐसी पेंशन, बीमा या भविष्य निधि गठित करेगा जिसे वह ठीक समझे जिसके अन्तर्गत ऐसी निधि भी है जिससे ऐसे अध्यापकों या यथास्थिति उनके उत्तराधिकारियों को, उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय (परीक्षा संचालन सम्बन्धी उपबन्ध) अधिनियम, 1965 में यथापरिभाषित केन्द्र के अधीक्षक या अन्तरीक्षक के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के सम्बन्ध में नियोग्य, आहत या मृत्यु हो जाने की दशा में पेंशन या उपदान दिया जाएगा ।

अध्यापकों के पारिश्रमकीय अतिरिक्त काम की अनुज्ञेय सीमा

39–(1) अध्यापकों को किसी भारतीय विश्वविद्यालय या लोक सेवा आयोग से भिन्न किसी निकाय द्वारा संचालित किसी परीक्षा के सम्बन्ध में किये गये किन्हीं कर्तव्यों के लिए पारिश्रमिक के संदाय सम्बन्धी शर्ते वहीं होगी जो विहित की जाए ।

(2) कोई अध्यापक अध्यापन सम्बन्धी कर्तव्यों या किसी परीक्षा सम्बन्धी कर्तव्यों से भिन्न कर्तव्यों वाला एक से अधिक पारिश्रमिकीय पद धारण नहीं करेगा ।

स्पष्टीकरण :– "पारिश्रमिकीय पद" शब्दों के अन्तर्गत छात्रावास के वार्डन या अधीक्षक, प्रॉक्टर, क्रीडाधीक्षक और पुस्तकालयाध्यक्ष के पद भी है।

---

1. उ0प्र0 अधिनियम संख्या 2, 2019 की धारा 14 द्वारा प्रतिस्थापित।

40–(1) धारा 37 में निर्दिष्ट किसी नियुक्ति संविदा से उठने वाला कोई विवाद माध्यस्थम् अधिकरण को निर्दिष्ट किया जाएगा जिसमें कार्य परिषद् द्वारा नामनिर्दिष्ट एक सदस्य सम्बन्धित अधिकारी या अध्यापक द्वारा नामनिर्दिष्ट एक सदस्य और कुलाधिपति द्वारा नामनिर्दिष्ट एक सदस्य (जो संयोजक का काम करेगा) सम्मिलित होंगे।

(2) यदि किसी कारणवश अधिकरण के किसी सदस्य का पद रिक्त हो जाए तो उस रिक्ति की पूर्ति के लिये उपयुक्त व्यक्ति या संबंधित निकाय उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार किसी अन्य व्यक्ति को नामनिर्दिष्ट करेगा, और अधिकरण के समक्ष कार्यवाहियां उस प्रकम से जारी रखी जा सकती है, जिस प्रक्रम पर रिक्ति की पूर्ति की जाय ।

(3) अधिकरण का विनिश्चय अंतिम और पक्षकारों पर अबद्धकर होगा और उस पर किसी न्यायालय में आपत्ति नहीं की जाएगी ।

(4) माध्यस्थम् अधिकरण की निम्नलिखित शक्तियां होगी : ––

(क) अपनी प्रक्रिया विनियमित करना ;

(ख) संबंधित अधिकारी या अध्यापक को पुनर्नियुक्त करने का आदेश देना ; और

(ग) तीन संबंधित अधिकारी या अध्यापक को, ऐसी आय काटने के पश्चात् जो उसे सेवा से निलंबित होने, हटाने जाने, पदच्युत किये जाने अथवा समाप्त किये जाने के दौरान अन्यथा प्राप्त हुई हो, वेतन दिलाना ।

(5) माध्यस्थम् से सम्बद्ध तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में अन्तर्विष्ट कोई बात इस धारा के अधीन माध्यस्थम् पर लागू न होगी ।

(6) किसी न्यायालय में कोई बाद या कार्यवाही किसी ऐसी बात के बारे में नहीं की जाएगी जो उपधारा (1) द्वारा माध्यस्थम् अधिकरण को निर्दिष्ट किये जाने के लिये अपेक्षित हो :

परन्तु उपधारा (3) में निर्दिष्ट अधिकरण का प्रत्येक विनिश्चय प्रादेशिक अधिकारितायुक्त निम्नतम न्यायालय द्वारा निष्पादनीय होगा मानो वह उक्त न्यायालय की कोई डिक्री हो ।

अध्याय – छः

परिनियम, अध्यादेश तथा विनियम

41– इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, परिनियमों में विश्वविद्यालय से सम्बद्ध किसी विषय के लिए उपबन्ध किये जा सकेंगे ओर विशिष्टतया निम्नलिखित के लिए उपबन्ध किये जायेंगे : –– **परिनियम**

(क) विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों का गठन, उनकी शक्तियां और उनके कर्तव्य ;

(ख) विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों के सदस्यों का निर्वाचन, नियुक्ति, पदावधि, जिसके अन्तर्गत प्रथम सदस्यों का पद पर बना रहना भी है, और उनकी सदस्यता में रिक्तियों की पूर्ति और इन प्राधिकारियों से सम्बन्धित ऐसे अन्य सभी विषय के लिए उपबन्ध करना आवश्यक हो ;

(ग) विश्वविद्यालय के अधिकारियों की शक्तियां और कर्तव्य ;

(घ) विश्वविद्यालय के अध्यापकों का वर्गीकरण, भर्ती (जिसमें न्यूनतम अर्हता और अनुभव भी है) उनके द्वारा विद्या सम्बन्धी वार्षिक प्रगति रिपोर्ट का रखा जाना और उनके द्वारा अनुपालनीय आचरण–नियम और उनकी परिलब्धियों और सेवा की अन्य शर्ते (जिसमें अनिवार्य सेवा निवृत्ति से सम्बन्धित उपबन्ध भी है) ;

(ङ) विश्वविद्यालय के अधीन अन्य पदों पर नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती (जिसमें न्यूनतम् अर्हता और अनुभव भी है) और उनकी परिलब्धियां और उनकी सेवा की शर्ते (जिसमें अनिवार्य सेवा निवृत्ति से सम्बन्धित अन्य उपबन्ध भी है) ;

(च) विश्वविद्यालय के अधिकारियों, अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों के फायदे के लिए पेंशन या भविष्य निधि का गठन अथवा बीमा स्कीम की स्थापना ;

(छ) उपाधियां तथा डिप्लोमा संस्थित करना ;

(ज) सम्मानार्थ उपाधियों का प्रदान किया जाना ;

(झ) उपाधियां और डिप्लोमा, प्रमाण–पत्रों तथा अन्य विद्या सम्बन्धी विशिष्टताओं का वापस लेना ;

(ञ) संकायों की स्थापना, उनका आमेलन, उत्सादन और पुनः संगठन ;

(ट) संकायों में अध्यापन विभागों की स्थापना ;

(ठ) विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित छात्रावासों की स्थापना उनका उत्सादन और पुनः संगठन ;

(ड़) विश्वविद्यालय के वैतनिक कर्मचारियों (जो अध्यापक नही है) की संख्या न्यूनतम् अर्हतायें और अनुभव, परिलब्धियां और सेवा की अन्य शर्ते, जिसमें सेवा निवृत्ति की आयु और अनिवार्य सेवा निवृत्ति से सम्बन्धित उपबन्ध भी है, और उनके सेवा अभिलेख की रचना और अनुरक्षण ;

(ढ) छात्रवृत्तियों, अधिछात्रवृत्तियों, विद्यावृत्तियों पदकों तथा पारितोषिकों को संस्थित करना ;

(ण) स्नातकों के रजिस्ट्रीकरण की अर्हतायें, शर्ते और रीति और रजिस्ट्रीकृत स्नातकों के रजिस्टर का रखा जाना ;

(त) दीक्षान्त समारोह, यदि कोई हों करना ; और

(थ) अन्य सभी विषय जो इस अधिनियम द्वारा परिनियमों में उपबन्धित किये जाने हो या किये जा सकेंगे ।

परिनियम कैसे बनाये जायेंगे

42–(1) विश्वविद्यालय के प्रथम परिनियम राज्य सरकार द्वारा, अधिसूचना द्वारा बनाये जायेंगे, परन्तु जब तक कि प्रथम परिनियम इस प्रकार न बनाये जायें, नियत दिनांक के ठीक पूर्व लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रवृत्त परिनियम, जहाँ तक कि वे इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हो ऐसे अनुकूलनों तथा उपान्तरों के अधीन रहते हुए, चाहे वे निरसन, संशोधन या परिवर्धन जो आवश्यक या समीचीन हों, के रूप में हों, और जिसको

राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा उपबंधित किया जाय, प्रवृत्त बने रहेंगे तथा ऐसे अनुकूलनों या उपांतरों पर आपत्ति नही उठाई जायेगी ।

(2) कार्य परिषद नए या अतिरिक्त परिनियम बना सकेगी या उपधारा (1) में निर्दिष्ट परिनियमों में संशोधन या उन्हें निरस्त कर सकेगी ।

(3) कार्यपरिषद, किसी ऐसे परिनियम के प्रारूप की प्रस्थापना तब तक नही करेगी, जिससे विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी की प्रास्थिति, शक्ति या गठन पर प्रभाव पड़ता हो, जब तक कि ऐसे प्राधिकारी को उस प्रस्ताव पर अपनी राय व्यक्त करने का अवसर न दे दिया गया हो और इस प्रकार राय लिखित रूप में होगी तथा कुलाधिपति को प्रस्तुत किया जायेगा ।

(4) प्रत्येक नया परिनियम या किसी परिनियम में परिवर्धन या किसी परिनियम में संशोधन या निरसन कुलाधिपति को प्रस्तुत किया जायगा जो उस पर अपनी अनुमति दे सकेगा अथवा अपनी अनुमति रोक सकता है अथवा उस पर और विचार करने के लिए कार्य परिषद को भेज सकेगा ।

(5) कार्य परिषद द्वारा पारित कोई परिनियम उस तारीख से, जब कुलाधिपति द्वारा अनुमति दी जाय अथवा ऐसी पश्चातवर्ती तारीख से जो उसके द्वारा विनिर्दिष्ट की जाये, प्रभावी होगा ।

(6) पूर्ववर्ती उपधाराओं में दी गई किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार, अध्यापकों की अर्हताओं के संबंध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के किसी सुझाव या सिफारिश या राज्य या राष्ट्रीय शिक्षा नीति को ध्यान में रखते हुए अपने द्वारा अध्ययन, शिक्षण या अनुसंधान के हित में या अध्यापकों, विद्यार्थियों या अन्य कर्मचारिवृन्द के लाभ के लिए किए गये किसी विनिश्चय को क्रियान्वित करने के लिए कार्य परिषद से विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर नये या अतिरिक्त परिनियम बनाने या उपधारा (1) में निर्दिष्ट परिनियमों को संशोधित करने या निरसित करने की अपेक्षा कर सकती है और यदि कार्य परिषद ऐसी अपेक्षाओं का अनुपालन करने में विफल रहे तो राज्य सरकार नये या अतिरिक्त परिनियम बना सकती है या उपधारा (1) में निर्दिष्ट परिनियमों का संशोधन या निरसन कर सकती है।

(7) कार्य परिषद को राज्य सरकार द्वारा उपधारा (6) के अधीन बनये गये परिनियमों को संशोधित या निरसित करने या ऐसे परिनियमों से असंगत नये या अतिरिक्त परिनियम बनाने की शक्ति नही होगी ।

अध्यादेश

43–(1) इस अधिनियम और परिनियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए अध्यादेशों में किसी ऐसे विषय के लिए उपबन्ध किये जा सकेंगे जिनके लिए इस अधिनियम या परिनियमों द्वारा उपबन्ध किया जाना हो या अध्यादेशों द्वारा किये जायें ।

(2) उपधारा (1) के उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, अध्यादेशों में निम्नलिखित विषयों के लिये उपबन्ध किये जायेंगे, अर्थात् ––

(क) विश्वविद्यालय में छात्रों का प्रवेश तथा उनका नामावलियत होना और इस प्रकार बना रहना ;

(ख) विश्वविद्यालय की सभी उपाधियों तथा डिप्लोमाओं के लिए अधिकथित किये जाने वाले अध्ययन पाठ्यक्रम और विश्वविद्यालय की अन्य विद्या संबंधी विशिष्टतायें ;

(ग) वे शर्ते जिनके अधीन छात्रों को विश्वविद्यालय की परीक्षाओं, उपाधियों और

डिप्लोमाओं में प्रविष्ट किया जायगा तथा वे ऐसी उपाधियों तथा डिप्लोमा प्राप्त करने के पात्र होंगे;

(घ) छात्रवृत्तियाँ, अधिछात्रवृत्तियाँ, विद्यावृत्तियाँ, निर्धन छात्रवृत्तियाँ, पदक तथा परितोषिक प्रदान करने की शर्ते ;

(ङ) विश्वविद्यालय में छात्रों के निवास तथा विश्वविद्यालय द्वारा पोषित छात्रावासों के प्रबंध की शर्ते ;

(च) ऐसे और छात्रावासों की, जो विश्वविद्यालय द्वारा पोषित न हों, मान्यता और प्रबंध ;

(छ) विश्वविद्यालय के छात्रों में अनुशासन बनाये रखना और दण्ड की व्यवस्था करना, जिसमें अनुशासन भंग के लिए या नये छात्रों का उनके ज्येष्ठ छात्रों द्वरा किसी उग्र या अश्लील रैगिंग के लिए निलंबन, निष्कासन या विनिष्कासन भी सम्मिलित है ;

(ज) फीस जो विश्वविद्यालय द्वारा ली जा सके ;

(झ) परीक्षण निकायों, परीक्षकों, अनुसीमकों, अन्तरीक्षकों तथा सारणीकारों की नियुक्ति की शर्ते और रीति तथा उसके कर्तव्य ;

(ञ) परीक्षाओं का संचालन ;

(ट) विश्वविद्यालय के कार्यो में नियोजित व्यक्तियों को दिया जाने वाला पारिश्रमिक तथा भत्ता जिसके अन्तर्गत यात्रा और दैनिक भत्ते भी है ;

(ठ) अन्य सभी विषय जिनके लिये इस अधिनियम या परिनियमों के अधीन उपबन्ध किये जाने हों अध्यादेश द्वारा किये जायें ।

अध्यादेश कैसे बनाये जायेंगे

44–(1) विश्वविद्यालय का प्रथम अध्यादेश, लखनऊ विश्वविद्यालय का अध्यादेश होगा जैसा कि नियत दिनांक के ठीक पूर्व प्रवृत्त है जहाँ तक वे इस अधिनियम के उपबन्धों प्रतिकूल न हों :

परन्तु ऐसे किन्ही अध्यादेशों के उपबन्धों को इस अधिनियम और परिनियमों उपबन्धों के अनुसार बनाने के लिए कुलाधिपति आदेश द्वारा अध्यादेशों में ऐसे अनुकूलन तथा उपान्तर, चाहे वे निरसन, संशोधन या परिवर्तन के रूप में हो, कर सकेगा जैसा कि आवश्यक या समीचीन हो और उपबन्ध कर सकेगा कि अध्यादेश ऐसी तारीख से जैसी आदेश में विनिर्दिष्ट की जायें, इस प्रकार किये गये अनुकूलनों तथा उपान्तरों के अधीन रहते हुए प्रभावी होंगे, और किसी ऐसे अनुकूलन या उपान्तर पर कोई आपत्ति नही की जायगी ।

(2) इस धारा में अन्यथा उपबन्धित के सिवाय अध्यादेश कार्य परिषद समय–समय पर नये अतिरिक्त अध्यादेश बना सकेगी या उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेशों का संशोधन या निरसन कर सकेगी :

परन्तु ऐसा कोई अध्यादेश नही बनाया जायेगा–

(क) जिससे छात्रों के प्रवेश पर प्रभाव पड़े या जो विश्वविद्यालय की परीक्षाओं के समतुल्य मान्यता दी जाने वाली परीक्षायें अथवा विश्वविद्यालय की उपाधि पाठ्यक्रम प्रवेश के लिये धारा 45 की उपधारा (1) में वर्णित अतिरिक्त अर्हताओं को विहित करें जब तक कि ऐसे अध्यादेश का प्रारूप विद्या परिषद द्वारा प्रस्थापित न किया गया हो ;

(ख) जिससे परीक्षकों की नियुक्ति की शर्तो तथा रीति और उनके कर्तव्य तथा परीक्षाओं का किसी पाठ्यक्रम के संचालन या स्तर पर पड़े जब तक कि वह सम्बद्ध संकाय की प्रस्थापना के अनुसार न हो या जब तक कि ऐसे अध्यादेश का प्रारूप विद्या परिषद् द्वारा प्रस्थापित न किया गया हो, या

(ग) जिससे कि विश्वविद्यालय के अध्यापकों की संख्या, अर्हताओं तथा उपलब्धियों अथवा विश्वविद्यालय की आय या व्यय पर प्रभाव पड़ें, जब तक कि उसका प्रारूप राज्य सरकार द्वरा अनुमोदित न कर दिया गया हो ।

(3) कार्य परिषद की उपधारा (3) के अधीन विद्या परिषद द्वारा प्रस्थापित किसी प्रारूप को संशोधित करने की शक्ति नही होगी किन्तु वह उसे अस्वीकार कर सकेगी या यह उसे विद्या परिषद को पूर्णतः अथवा भागतः पुनः विचारार्थ किसी ऐसे संशोधन के साथ वापस कर सकेगी जिसका कार्य परिषद सुझाव दे ।

(4) कार्य परिषद द्वारा बनाये गये सभी अध्यादेश ऐसी तारीख से प्रभावी होंगे जैसा वह निर्देश दे और कुलाधिपति को यथाशक्ति शीघ्र प्रस्तुत किये जायेंगे ।

(5) कुलाधिपति किसी समय कार्य परिषद की उपधारा (2) के परन्तुक खण्ड (ग) में निर्दिष्ट अध्यादेशों से भिन्न अध्यादेशों को कार्य परिषद को अननुज्ञात करने को संज्ञापित कर सकेगा और कार्य परिषद को ऐसे अनुज्ञात करने की सूचना प्राप्त की तारीख से ऐसे अध्यादेश शून्य हो जायेंगे ।

(6) कुलाधिपति यह निर्देश दे सकेगा कि उपधारा (2) के परन्तुक के खण्ड (ग) में निर्दिष्ट अध्यादेश से भिन्न किसी अध्यादेश का प्रवर्तन तब तक के लिये निलम्बित रहेगा जब तक उसे अननुज्ञात करने की अपनी शक्ति का प्रयोग करने का अवसर न मिला हो । इस उपधारा के अधीन निलम्बन का कोई आदेश ऐसे आदेश की तारीख से एक मास की समाप्ति पर प्रभावी नही होगा ।

विनियमन

45–(1) इस अधिनियम, परिनियमों तथा अध्यादेशों के उपबन्धों के अधीन रहते हुये विश्वविद्यालय का कोई अधिकारी या निकाय निम्नलिखित के लिये विनियम बना सकेगा––

(क) अपने अधिवेशनों में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया तथा गणपूर्ति के लिये अपेक्षित सदस्यों की संख्या अधिकथित करने ;

(ख) ऐसे समस्त विषयों का उपबन्ध करना जो इस अधिनियम परिनियमों या अध्यादेशों द्वारा विनियमों से उपबन्धित किये जाने हों, और

(ग) किसी ऐसे विषय का उपबन्ध करना जिनका संबंध केवल ऐसे प्राधिकारी या निकाय से हो और जिनके लिये इस अधिनियम परिनियम और अध्यादेश में उपबन्ध न किये गये हों ।

(2) विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या अन्य निकाय द्वारा बनाये गये विनियमों में उसके सदस्यों की अधिवेशनों की तारीखें और उनमें किये जाने वाले कार्य की सूचना देने तथा ऐसे अधिवेशनों में किये जाने वाले काम–काज का अभिलेख रखने की व्यवस्था करेंगा ।

(3) कार्यपरिषद् सभा से भिन्न विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या निकाय को यह निदेश दे सकेगी कि वह ऐसे पदाधिकारी या निकाय द्वारा बनाये गये किसी विनियम

को रद्द कर दे या उनमें ऐसे रूप में संशोधन कर दे जैसा निदेश मे विनिर्दिष्ट किया जाय और तदुपरान्त ऐसा प्राधिकारी या निकाय तद्नुसार विनियम को रद्द करेगा अथवा उसमें संशोधन करेगा ।

(4) अध्यादेशों के उपबन्धों के अधीन रहते हुये विद्या परिषद विश्वविद्यालय की किसी परीक्षा, उपाधि या डिप्लोमा के पाठ्यक्रम की व्यवस्था करने के लिये विनियम संबंधित संकाय के बोर्ड द्वारा उसके प्रारूप प्रस्थापित किये जाने के पश्चात् ही बना सकेगा ।

(5) विद्या परिषद् की उपधारा (4) के अधीन संकाय के बोर्ड द्वारा प्रस्थापित किसी प्रारूप में संशोधन अथवा उसे अस्वीकार करने की शक्ति न होगी, किन्तु वह उसे बोर्ड को अपने सुझावों के साथ और विचार करने के लिये वापस कर सकेगी ।

(6) इस धारा के अधीन किन्हीं विनियमों के बनाये जाने तक लखनऊ विश्वविद्यालय के सुसंगत विनियम, जैसा कि वे नियत दिनांक के ठीक पूर्व प्रवृत्त थे, बने रहेंगे ।

अध्याय – सात

वार्षिक रिपोर्ट तथा लेखा

वार्षिक रिपोर्ट

46–(1) विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट कार्य परिषद के निदेशाधीन तैयार की जायेगी और उसे सभा को उसके वार्षिक अधिवेशन के एक मास पूर्व प्रस्तुत किया जायेगा और सभा अपने वार्षिक अधिवेशन में उस पर विचार करेगी ।

(2) सभा संकल्प द्वारा ऐसी रिपोर्ट के संबंध में सिफारिश कर सकेगी और उसे कार्य परिषद् को संसूचित करेगी, जो उस पर ऐसी कार्यवाही करेगी जिसे वह ठीक समझे।

लेखा तथा संपरीक्षा

47–(1) विश्वविद्यालय का वार्षिक लेखा तथा तुलनपत्र कार्य परिषद् के निदेशाधीन तैयार किये जायेंगे और किसी स्रोत से विश्वविद्यालय को प्रोद्भूत समस्त धन और ऐसी रकमें जिनका वितरण अथवा संदाय किया गया हो विश्वविद्यालय द्वारा रखी गयी लेखा में प्रविष्ट की जायेगी ।

(2) वार्षिक लेखा और तुलनपत्र की एक प्रतिलिपि राज्य सरकार को प्रस्तुत की जायेगी जो उसकी संपरीक्षा करेगी ।

(3) वार्षिक लेखा तथा तुलनपत्र की संपरीक्षा हो जाने के पश्चात् उन्हें मुद्रित किया जायेगा और उनकी प्रतियां संपरीक्षा रिपोर्ट की प्रति कार्य परिषद द्वारा सभा तथा राज्य सरकार को प्रस्तुत की जायेगी ।

(4) कार्य परिषद ऐसी तारीख के पूर्व, जो विहित की जाय आगामी वर्ष का बजट भी तैयार करेगी ।

(5) व्यय की प्रत्येक नई मद, जो यथा विहित रकम से अधिक हो जिसे बजट में सम्मिलित करने की प्रस्थापना हो, कार्य परिषद द्वारा वित्त समिति को निर्दिष्ट की जायेगी जो उस पर अपनी सिफारिशें कर सकेगी।

(6) कार्य परिषद जो वित्त समिति की सिफारिशों पर, यदि कोई हो, विचार करने के पश्चात बजट का अन्तिम रूप से अनुमोदन करेगी।

(7) वार्षिक लेखा, तुलनपत्र तथा संपरीक्षा रिपोर्ट पर सभा अपनी वार्षिक अधिवेशन में विचार करेगी और सभा उसके सम्बन्ध में संकल्प द्वारा सिफारिशें कर सकेगी और उसे कार्य परिषद को संसूचित करेगी ।

(8) कुलपति या कार्य परिषद द्वारा कोई ऐसा व्यय उपगत करना वैध न होगा ––

(क) जो या तो बजट मे मंजूर न हो या बजट मंजूर होने के पश्चात राज्य सरकार या भारत या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अथवा किसी अन्तर्राष्ट्रीय संगठन या फाउन्डेशन द्वारा विश्वविद्यालय को अनुदान विधियों की दशा में, ऐसे अनुदान के निबन्धनों के अनुसार न हो :

परन्तु धारा 17 की उपधारा (7) के किसी बात के होते हुये भी अग्निकाण्ड, बाढ़, अतिवृष्टि अथवा अन्य आकस्मिक अथवा अप्रत्याशित परिस्थितियों में कुलपति पचास हजार से अधिक ऐसा अनावर्ती व्यय उपगत कर सकेगा जो बजट मे मंजूर न हो और ऐसे सभी व्यय की सूचना वह अविलम्ब राज्य सरकार को देगा ।

(ख) जो इस अधिनियम के अधीन तात्पर्यित कुलाधिपति या राज्य सरकार के अधीन किसी आदेश का विरोध करने के लिये किसी मुकदमें के संबंध में हो ।

अधिभार

48–(1) धारा 14 के खण्ड (ख) से (झ) मे विनिर्दिष्ट कोई अधिकारी विश्वविद्यालय के किसी धन या सम्पत्ति की हानि, दुर्व्यय या दुरुपयोग के लिये अधिभार का देनदार होगा, यदि ऐसी हानि, दुर्व्यय या दुरूपयोजन उसकी उपेक्षा या अवचार के प्रत्यक्ष परिणामस्वरूप हो ।

(2) अधिभार की प्रक्रिया और ऐसी हानि, दुर्व्यय या दुरूपयोजन में अन्तर्निहित धनराशि की वसूली की रीति ऐसी होगी जैसे विहित की जाय ।

अध्याय – आठ

प्रकीर्ण

प्राधिकारियों के अधिकारियों तथा सदस्यों की नियुक्ति करने की रीति

49– (1) इस अधिनियम या परिनियमों द्वारा अभिव्यक्त रूप से यथा उपबन्धित के सिवाय विश्वविद्यालय के अधिकारी और विश्वविद्यालय के प्राधिकारी में, के सदस्य यथासंभव निर्वाचन, से भिन्न रीति से चुने जायेंगे ।

(2) जहां इस अधिनियम या परिनियमों मे चक्रानुक्रम से या ज्येष्ठता अथवा अन्य अर्हताओं के अनुसार किसी नियुक्ति के लिये कोई उपबन्ध किया गया हो तो चक्रानुक्रम और ज्येष्ठता तथा अन्य अर्हतायें अवधारित करने की रीति वही होगी जो विहित की जाय ।

(3) जहां इस अधिनियम में निर्वाचन के लिये कोई उपबन्ध किया गया हो ऐसा निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा संचालित किया जायेगा और जहां परिनियमों मे निर्वाचन के लिये उपबन्ध किया गया है तो ऐसी रीति से होगा जैसी परिनियमों द्वारा उपबन्धित हो ।

(4) इस अधिनियम द्वारा अभिव्यक्ति रूप से यथा उपबन्धित के सिवाय विश्वविद्यालय का कोई अधिकारी या कर्मचारी विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी अन्य निकाय के निर्वाचन में खड़े होने के लिये पात्र न होगा।

आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति

50–(1) विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या निकाय के पदेन सदस्यों से भिन्न सदस्यों की किसी आकस्मिक रिक्ति की पूर्ति उसी रीति से की जायेगी जिस रीति से वह सदस्य जिसकी रिक्ति की पूर्ति करनी है चुना गया हो और रिक्ति की पूर्ति करने वाला व्यक्ति ऐसे प्राधिकारी या निकाय का सदस्य उस अवशिष्ट अवधि के लिये होगा जिसके लिये वह व्यक्ति जिसका स्थान वह भरता है, सदस्य बना रहता ।

(2) यदि कोई व्यक्ति, जो अन्य किसी निकाय के प्रतिनिधि के रूप में विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी का सदस्य हो चाहे वह निकाय विश्वविद्यालय का हो अथवा बाहरी, तब तक ऐसे प्राधिकारी में अपने पद पर रहेगा जब कि वह ऐसे निकाय के प्रतिनिधि बना रहे ।

रिक्तियों आदि के कारण कार्यवाही का अविधिमान्य न होना

51–विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या निकाय अथवा समिति का कोई कार्य या कार्यवाही केवल इस कारण अविधिमान्य न होगी कि,–

(क) उसमें कोई रिक्त अथवा उसके गठन में कोई त्रुटि थी ; या

(ख) कार्यवाही में किसी ऐसे व्यक्ति ने भाग लिया है, जो ऐसा करने के लिए हकदार नही था; या

(ग) उसके सदस्य के रूप में कार्य करने वाले किसी व्यक्ति के निर्वाचन, नाम–निर्देशन या नियुक्त में कोई त्रुटि थी ; या

(घ) उसकी कार्यवाही में कोई ऐसी अनियमितता थी जिससे मामले के गुणावगुण पर कोई प्रभाव न पड़ता हो ।

विश्वविद्यालय की सदस्यता से हटाया जाना

52–सभा, उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों की दो तिहाई मत से किसी व्यक्ति को विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या अन्य निकाय की सदस्यता से इस आधार पर कि ऐसा व्यक्ति ऐसे अपराध के लिये सिद्धदोष हुआ है जो सभा की राय में नैतिक अधमता सम्बन्धित अपराध हो अथवा इस आधार पर कि वह कलंकात्मक आवरण का दोषी है अथवा उसने ऐसी रीति से व्यवहार किया हो जो विश्वविद्यालय के सदस्य के लिए आशोभनीय हो, हटा सकती है और उन्ही आधारों पर किसी व्यक्ति से विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त या मंजूर की गई कोई उपाधि, डिप्लोमा या प्रमाणपत्र वापस ले सकती है ।

कुलाधिपति को निर्देश

53–यदि कोई ऐसा प्रश्न उठे कि कोई व्यक्ति विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या अन्य निकाय का यथाविधि निर्वाचित या नियुक्त सदस्य या उसका सदस्य होने का हकदार है या नही (जिसके अन्तर्गत किसी परिनियम, अध्यादेश या परिनियम, जो राज्य सरकार द्वारा या कुलाधिपति द्वारा बनाया या अनुमोदित किया गया परिनियम या अध्यादेश न हो, की विधिमान्यता से सम्बन्धित कोई प्रश्न भी सम्मिलित है) इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए परिनियमों या अध्यादेशों के अनुरूप है या नहीं, तो उक्त विषय कुलाधिपति को निर्दिष्ट किया जायेगा और कुलाधिपति का उस पर विनिश्चय अंतिम होगा :

परन्तु इस धारा के अधीन कोई निर्देश,––

(क) उस तारीख के जब कि प्रश्न पहली बार उठाया जा सकता था, तीन मास से अधिक के पश्चात् ;

(ख) विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या अधिकारी अथवा व्यथित व्यक्ति के सिवाय नही किया जाएगा :

परन्तु यह और कि कुलाधिपति आपवादिक परिस्थितियों में ––

(क) पूर्वगामी परन्तुक में वर्णित कालावधि की समाप्ति के पश्चात् स्वप्रेरणा पर कार्य कर सकेगा अथवा निर्देश ग्रहण कर सकेगा;

(ख) जहां निर्दिष्ट विषय का सम्बन्ध निर्वाचन के बारे में किसी विवाद से हो, और इस प्रकार निर्वाचित व्यक्ति की पात्रता संदेहास्पद हो तो ऐसा स्थगन आदेश दे सकेगा जिसे वह न्यायोचित और समीचीन समझे ।

विश्वविद्यालय के अभिलेख को सिद्ध करने की रीति

54–(1) विश्वविद्यालय के कब्जे में विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी अथवा समिति की किसी रसीद, आवेदन, सूचना, आदेश कार्यवाही, संकल्प या अन्य दस्तावेज अथवा विश्वविद्यालय द्वारा यथाविधि अनुरक्षित किसी रजिस्टर की किसी प्रविष्टि की प्रति, यदि कुल सचिव द्वारा प्रमाणित हो तो ऐसी रसीद, आवेदन, सूचना, आदेश, कार्यवाही या संकल्प अथवा दस्तावेज के अथवा रजिस्टर में प्रविष्टि होने के प्रथमदृष्टया साक्ष्य के रूप मे ग्रहण की जाएगी और उसमें अभिलिखित विषय तथा व्यवहार के लिए साक्ष्य के रूप में उसी प्रकार ग्रहण की जाएगी जैसा कि यदि मूल प्रति प्रस्तुत की गई होती तो वह साक्ष्य में ग्राह्य होती।

(2) विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या सेवक से, किसी ऐसी कार्यवाही में, जिसमें विश्वविद्यालय एक पक्ष न हो, विश्वविद्यालय का कोई ऐसा दस्तावेज, रजिस्टर या अन्य अभिलेख जिसकी अन्तर्वस्तुएं उपधारा (1) के अधीन प्रमाणित प्रति द्वारा सिद्ध की जा सकती हों, प्रस्तुत करने की अथवा उसमें अभिलिखित विषय तथा व्यवहार को सिद्ध करने के लिये साक्षी के रूप में उपस्थित होने की जब तक अपेक्षा न की जाएगी, जब तक कि सभा विशेष कारण से आदेश न दे ।

अध्याय – नौ

संक्रमणकालीन उपबन्ध

प्राधिकारियों का गठन

55–(1) इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पश्चात् विश्वविद्यालय का प्रत्येक प्राधिकारी यथाशीघ्र इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार गठित किया जायेगा ।

(2) जब तक कि उपधारा (1) के अधीन विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी का गठन न किया जाय, राज्य सरकार आदेश द्वारा यह निदेश दे सकेगी कि कार्य परिषद् से भिन्न विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी द्वारा प्रयोक्तव्य तथ्य अथवा निर्वाहन योग्य शक्तियों, कर्तव्यों तथा कृत्यों का प्रयोग अथवा निर्वाहन किसके द्वारा और किस रीति से किया जायेगा ।

56–लखनऊ विश्वविद्यालय से विश्वविद्यालय में संस्थाओं का अंतरण होते हुए भी,–

(क) किसी अधिनियमिति के अधीन की गयी सभी नियुक्तियां, दिये गये आदेश, प्रदत्त उपाधियां या डिप्लोमा अथवा जारी किये गये प्रमाण–पत्र मंजूर किये गये विशेषाधिकार अथवा की गयी कोई अन्य बातें (जिनके अन्तर्गत स्नातकों का रजिस्ट्रीकरण भी है) इस अधिनियम के तत्समान उपबंधों के अधीन क्रमशः की गयी, जारी की गयी, प्रदत्त, मंजूर या की गयी समझी जाएगी और इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन अन्यथा उपबंधित के सिवाय जब तक कि वे इस अधिनियम के अधीन दिये गये किसी अन्य आदेश में अधिक्रांति न कर दिये जायें, प्रवृत्त बनी रहेगी;

(ख) किंग जार्ज मेडिकल कालेज के अध्यापकों की नियुक्ति के लिए चयन समिति की ऐसी सभी कार्यवाहियां, जो इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व हुई तथा ऐसी चयन समितियों, की संस्तुतियों के सम्बन्ध में लखनऊ विश्वविद्यालय की कार्य परिषद द्वारा की

गयी सभी कार्यवाहियां, जहाँ इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व उनके आधार पर नियुक्ति का कोई आदेश न दिया गया हो, विधिमान्य मानी जाएगी, किन्तु ऐसे विचाराधीन चयन के सम्बन्ध में अग्रतर कार्यवाही इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार की जायेगी और उसी प्रक्रम में जारी रखी जायेगी जहाँ वे ऐसे प्रारम्भ के ठीक पूर्व थी ;

(ग) जब तक कि धारा 35 की उपधारा (5) के अधीन विशेषज्ञों का नया पैनल तैयार नही किया जाता तब तक, कुलपति उस धारा के अधीन चयन समिति के विशेषज्ञों को उन पैनलों मे से, जो इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के ठीक पूर्व विद्यमान हो, नाम निर्दिष्ट कर सकेगा :

परन्तु यह कि उक्त धारा की उपधारा (5) स्पष्टीकरण 1 तथा 2 के उपबन्ध के इस खण्ड में निर्दिष्ट विशेषज्ञों के पैनल तथा इस खण्ड के अधीन ऐसे पैनलों में से किये गये नाम–निर्देशनों पर भी लागू होंगे ;

(घ) जब तक विश्वविद्यालय में कोई वित्त अधिकारी नियुक्त नही किया जाता तब तक इस अधिनियम के अधीन वित्त अधिकारी के कृत्य किंग जार्ज मेडिकल कालेज के वित्त अधिकारी द्वारा पालन किए जायेंगे ;

(ङ) जब तक कि विश्वविद्यालय मे कोई कुल सचिव नियुक्त नही किया जाता, तब तक इस अधिनियम के अधीन कुलसचिव के कृत्य कुलपति द्वारा नामित विश्वविद्यालय के किसी अध्यापक द्वारा निष्पादित किये जायेंगे ।

कठिनाइयां दूर करने की शक्ति

57–(1) राज्य सरकार किसी कठिनाई को, विशिष्टतः उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973, जहाँ तक संस्थाओं का संबंध है, के उपबन्धों से इस अधिनियम के उपबन्धों के संक्रमण के सम्बन्ध में, दूर करने के प्रयोजनार्थ यह निदेश दे सकेगी कि इस अधिनियम के उपबन्ध ऐसी कालावधि मे जो आदेश मे विनिर्दिष्ट की जाए, ऐसे अनुकूलनों के अधीन रहते हुए, चाहे वे परिष्कार परिवर्द्धन या लोप के रूप में हों, जिन्हें वह आवश्यक या समीचीन समझे, प्रभावी होंगेः

परन्तु इस अधिनियम के प्रारम्भ के दिनांक से दो वर्ष के पश्चात् ऐसा कोई आदेश नहीं किया जायेगा।

(2) उपधारा (2) के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश बनाये जाने के बाद यथाशीघ्र राज्य विधान मण्डल के दोनो सदनों के समक्ष रखा जायेगा।

(3) उपधारा (1) के अधीन किसी आदेश पर किसी न्यायालय में इस आधार पर आपत्ति नहीं की जायेगी कि उपधारा (1) में निर्दिष्ट कठिनाई विद्यमान नही थी अथवा उनको दूर करना अपेक्षित नही था ।

उद्देश्य और कारण

राज्य में विभिन्न रोगो से ग्रसित रोगियों के समुचित उपचार का प्रबन्ध करने और आयुर्विज्ञान के क्षेत्र में संजय गांधी स्नातकोत्तर चिकित्सा विज्ञान संस्थान के अतिरिक्त एक उत्कृष्ट केन्द्र विकसित करने की दृष्टि से यह विनिश्चय किया गया है कि किंग जार्ज मेडिकल कालेज और गांधी मेमोरियल एण्ड एसोसियेटेड हास्पिटल को लखनऊ विश्वविद्यालय से अन्तरित करके छत्रपति शाहूजी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय के नाम से एक चिकित्सा विश्वविद्यालय की स्थापना की व्यवस्था करने के लिये एक विधि बनाई जाये।

तदनुसार उत्तर प्रदेश छत्रपति शाहूजी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय विधेयक, 2002 पुरःस्थापित किया जाता है।

—————